[2023] 7 एस. सी. आर. 899

आय कर के प्रधान आयुक्त, केंद्र-3

वी.

अभिसार बिल्डवेल पी. लिमिटेड।

(2021 की सिविल अपील संख्या 6580)

अप्रैल 24,2023

[एम. आर. शाह और सुधांशु धूलिया, जे. जे.]

आयकर अधिनियम, 1961-- एस. 153ए, 132,132ए-मूल्यांकन यू / s.153A-इसका दायरा-चाहे पूर्ण मूल्यांकन/बेरोकटोक मूल्यांकन के संबंध में, मूल्यांकन करने के लिए ए. ओ. का अधिकार क्षेत्र खोज के दौरान पाई गई आपत्तिजनक सामग्री तक ही सीमित है। s.132 या अनुरोध यू/एस। 132ए या नॉट-आयोजितः खोज के मामले में यू / s.132 या अनुरोध यू / s.132A, ए. ओ. ब्लॉक मूल्यांकन यू/के लिए अधिकार क्षेत्र मानता है। s.153A-सभी लंबित आकलन/पुनर्मूल्यांकन समाप्त हो जाएंगे-यदि कोई आपत्तिजनक सामग्री पाई जाती है/पाई जाती है।

पता चलने पर, बेरोकटोक/पूर्ण आकलन के मामले में भी, ए. ओ. तलाशी के दौरान मिली आपत्तिजनक सामग्री और रिटर्न में घोषित आय सहित अन्य उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए 'कुल आय' का आकलन या पुनर्मूल्यांकन करने का अधिकार क्षेत्र ग्रहण करेगा।

के दौरान पाई गई किसी भी आपत्तिजनक सामग्री के अभाव में एओ द्वारा खोज यू / s.132 या अनुरोध यू/एस। 132ए-काबुल चावला में दिल्ली उच्च न्यायालय और सौम्या में गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण

निर्माण मामले पर सहमति हो गई है।

आय कर अधिनियम, 1961। 153ए-का उद्देश्य और उद्देश्य -

चर्चा की।

अपीलों और पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 कि कानून में धारा 153ए को शामिल करने से पहले, खंड मूल्यांकन के लिए प्रासंगिक प्रावधान के तहत था अधिनियम, 1961 की धारा 158बीए। धारा 158बीए के तहत ब्लॉक मूल्यांकन की पूर्ववर्ती योजना में मूल्यांकन की परिकल्पना की गई थी -

' दो कारणों से 'अघोषित आय', पहला कि दो थीं

पूर्ववर्ती शासन के तहत परिकल्पित समानांतर आकलन, अर्थात, (i) धारा 158बीए के तहत मूल्यांकन को अवरुद्ध करना

' अघोषित आय 'और (ii) अघोषित आय के अलावा अन्य आय का निर्धारण करने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नियमित मूल्यांकन। दूसरा, कि 'अघोषित आय' धारा 113 के तहत 60 प्रतिशत की विशेष दर पर कर के लिए प्रभार्य थी, जबकि 'अघोषित आय' के अलावा अन्य आय का मूल्यांकन नियमित मूल्यांकन प्रक्रिया के तहत किया जाना आवश्यक था।

और सामान्य दर पर कर योग्य था। इसलिए, धारा 153ए को अंतःस्थापित किया गया और क़ानून में लाया गया। धारा 153ए व्यवस्था के तहत, कानून का इरादा दो समानांतर आकलनों की योजना को समाप्त करना और 'अघोषित' आय पर भी किसी भी विशेष दर के मुकाबले कर की सामान्य दर पर कर लगाना था। इस प्रकार, धारा 153ए के लागू होने के बाद और तलाशी के मामले में, छह साल के लिए खंड मूल्यांकन होगा। खोजें।

धारा 153 ए के तहत आकलन/ब्लॉक आकलन धारा 132 के तहत एक वैध खोज के संचालन द्वारा शुरू किए जाते हैं।

अधिनियम, 1961। खोज का उद्देश्य, जो धारा 153 ए/153 सी के प्रावधानों को लागू करने के लिए एक पूर्व शर्त/ट्रिगर है

असाधारण कार्य करके अघोषित आय का पता लगाना तलाशी और जब्ती की शक्ति, अर्थात वह आय जिसका नियमित मूल्यांकन के सामान्य क्रम में पता नहीं लगाया जा सकता है। इस प्रकार, धारा 153ए/153सी के तहत खोज मूल्यांकन करने की नींव को खोज के परिणामस्वरूप पाई गई अघोषित आय को दर्शाने वाली आपत्तिजनक सामग्री का अस्तित्व कहा जा सकता है। [पैरा 9.1] [932-जी-एच; 933-ए-डी]

1.2 धारा 153ए के प्रावधानों के अनुसार, धारा 132 के तहत तलाशी या धारा 132ए के तहत मांग के मामले में, एओ

छह निर्धारण के भीतर आने वाले प्रत्येक निर्धारण वर्ष के संबंध में 'कुल आय' का आकलन या पुनर्मूल्यांकन करने का अधिकार क्षेत्र प्राप्त करता है

धारा 132 के तहत या धारा 132ए के तहत मांग करना, जैसा भी मामला हो, समाप्त हो जाएगा। धारा की उप-धारा (2) के अनुसार 153ए, यदि उप-धारा (1) के तहत शुरू की गई कोई

कार्यवाही या मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन का कोई आदेश अपील या किसी अन्य कानूनी कार्यवाही में रद्द कर दिया गया है, तो, आय कर के प्रधान आयुक्त के बावजूद, केंद्रीय-3 वी।

अभिसार बिल्डवेल पी. लिमिटेड।

उप-धारा (1) या धारा 153 में निहित कुछ भी, किसी भी निर्धारण वर्ष से संबंधित निर्धारण या पुनर्मूल्यांकन जो उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक के तहत समाप्त हो गया है, आयुक्त द्वारा ऐसे रद्द करने के आदेश की प्राप्ति की तारीख से प्रभावी होगा। इसलिए, कानून का इरादा यह प्रतीत होता है कि तलाशी के मामले में केवल लंबित मूल्यांकन/पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही समाप्त हो जाएगी और एओ मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन करने का अधिकार क्षेत्र ग्रहण करेगा। पूरे छह साल की अवधि/ब्लॉक मूल्यांकन अवधि के लिए 'कुल आय' का पुनर्मूल्यांकन करें। ऐसा प्रतीत होता है कि इरादा पूर्ण/बेरोकटोक मूल्यांकन को फिर से शुरू करने का नहीं है, जब तक कि तलाशी से पहले पिछले छह वर्षों के भीतर आने वाले संबंधित मूल्यांकन वर्ष के संबंध में कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं पाई जाती है। इसलिए, अधिनियम, 1961 की धारा 153ए की सही व्याख्या पर, धारा 132 के तहत तलाशी या धारा 132ए के तहत मांग के मामले में और तलाशी के दौरान कोई भी आपत्तिजनक सामग्री पाई जाती है, यहां तक कि बेरोकटोक/पूर्ण मूल्यांकन के मामले में भी, एओ के पास तलाशी के दौरान एकत्र की गई आपत्तिजनक सामग्री और अन्य सामग्री को ध्यान में रखते हुए 'कुल आय' का आकलन या पुनर्मूल्यांकन करने का अधिकार क्षेत्र होगा, जिसमें निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत रिटर्न में घोषित आय, यदि कोई हो, के साथ-साथ अघोषित आय भी शामिल होगी। हालांकि, तलाशी के दौरान कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिलने की स्थिति में, पूर्ण/निर्बाध मूल्यांकन के मामले में, राजस्व के लिए उपलब्ध एकमात्र उपाय अधिनियम की धाराओं 147/148 में उल्लिखित शर्तों को पूरा करने के अधीन, अधिनियम की धाराओं 147/48 के तहत पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही शुरू करना होगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में, राजस्व को कोई उपाय नहीं छोड़ा जा सकता है। इसलिए, धारा 153ए के तहत ब्लॉक मूल्यांकन के मामले में भी और बेरोकटोक/पूर्ण मूल्यांकन के मामले में और तलाशी के दौरान कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिलने की स्थिति में, राजस्व को निम्नानुसार पुनर्मूल्यांकन करने की शक्ति है -

अधिनियम की धाराओं 147/148 को सहेजना होगा, अन्यथा राजस्व बिना उपचार के रह जाएगा। [पैरा 11] [935-ए-एच; 936

ए]

1.3 यदि राजस्व की ओर से प्रस्तुत किया जाता है कि तलाशी के मामले में भी जहां इस दौरान कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं पाई जाती है

खोज के क्रम में, बेरोकटोक/पूर्ण मूल्यांकन के मामले में भी, एओ अन्य सामग्री, [2023] 7 एस. सी. आर. को ध्यान में रखते हुए आय/कुल आय का आकलन या पुनर्मूल्यांकन कर सकता है।

उस मामले में, दो मूल्यांकन आदेश होंगे, जिनकी कानून के तहत अनुमति नहीं होगी। पुनरावृत्ति की कीमत पर, यह देखा गया है कि अधिनियम की धारा 153ए के तहत मूल्यांकन अधिनियम की धारा 132 और 132ए के तहत खोज और माँग से जुड़ा हुआ है। धारा 153ए का उद्देश्य उस अघोषित आय को कर के दायरे में लाना है जो तलाशी के दौरान या तलाशी या मांग के अनुसार पाई जाती है। इसलिए, केवल उस मामले में जहां अघोषित आय के आधार पर पाया जाता है

राजस्व स्वीकार किया जाता है, उस मामले में, धारा 153ए का दूसरा परंतुक और धारा 153ए की उप-धारा (2) निरर्थक होगी और/या उक्त प्रावधानों को फिर से लिखना होगा, जो कानून के तहत अनुमेय नहीं है। [पैरा 12] [936-बी-ई] 1.4 यह न्यायालय काबुल चावला के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत है।

सौम्या निर्माण के मामले में गुजरात उच्च न्यायालय ने यह विचार रखते हुए कि पूरा किए गए निर्माण के संबंध में कोई जोड़ नहीं किया जा सकता है किसी भी आपत्तिजनक सामग्री के अभाव में मूल्यांकन। धारा 132 के तहत तलाशी या धारा 132ए के तहत मांग के मामले में, एओ धारा 153ए के तहत खंड मूल्यांकन के लिए अधिकार क्षेत्र ग्रहण करता है। सभी लंबित आकलन/पुनर्मूल्यांकन समाप्त हो जाएंगे। यदि कोई आपत्तिजनक सामग्री पाई जाती है/खोजी जाती है, यहां तक कि, बेरोकटोक/पूर्ण मूल्यांकन के मामले में, एओ इस दौरान खोजी गई आपत्तिजनक सामग्री को ध्यान में रखते हुए 'कुल आय' का आकलन या पुनर्मूल्यांकन करने का अधिकार क्षेत्र ग्रहण करेगा।

रिटर्न में घोषित आय सहित खोज और एओ के पास उपलब्ध अन्य सामग्री। यदि कोई दोषारोपण नहीं है

खोज के दौरान सामग्री का पता चला है, एओ पूर्ण मूल्यांकन/निर्बाध मूल्यांकन के संबंध में अन्य सामग्री को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन नहीं कर सकता है। अर्थात्, पूर्ण/निर्बाध आकलनों के संबंध में, किसी भी दोषपूर्ण आयकर आयुक्त, केंद्र v के अभाव में एओ द्वारा कोई जोड़ नहीं किया जा सकता है।

अभिसार बिल्डवेल पी. लिमिटेड।

अधिनियम, 1961 की धारा 132ए के तहत धारा 13 की मांग के तहत तलाशी के दौरान सामग्री मिली। हालांकि

अधिनियम की धारा 147/148 के तहत शक्तियों का प्रयोग करके, अधिनियम की धारा 147/148 के तहत परिकल्पित/उल्लिखित शर्तों को पूरा करने के लिए, पूर्ण/निर्बाध मूल्यांकन को फिर से खोला जा सकता है और उन शक्तियों को बचाया जाता है। [पा.

और 14] [932-ई; 936-जी-एच; 937-ए-बी]

आयकर आयुक्त, केंद्रीय-III v. काबुल चावला (2015) 61 टैक्समैन। com 412 (दिल्ली) दिनांक 28.08.2015; प्रधान आयकर आयुक्त-4 v. सौम्या कंस्ट्रक्शन (2016) 387 आईटीआर 529 (गुजरात)

स्वीकृत किया गया।

ऑल कार्गो ग्लोबल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड v. आयकर उपायुक्त (2012) 18 आई. टी. आर. (जनजाति) 106 (आई. टी. ए. टी./एम. एम.) दिनांक 06.07.2012; आयकर आयुक्त-III,

पुणे बनाम. सिंहगढ़ तकनीकी शिक्षा सोसायटी (2017) 397 आईटीआर 344 (एससी): (2018) 11 एससीसी 490 [2017] 8

एस. सी. आर. 463; प्रधान आयकर आयुक्त,

अहमदाबाद बनाम। दीपक जसवंतलाल पांचाल 2017 (2) टी. एम. आई. 862 (गुजरात); आयकर आयुक्त-2, ठाणे बनाम। महाद्वीपीय भंडारण निगम (न्हावा शेवा)

लिमिटेड (2015) 374 आई. टी. आर. 645 (बॉम्बे); प्रा. आयकर आयुक्त (केंद्रीय), बैंगलोर और अन्य। वी. एम/एस। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रा. लि. लिमिटेड और ओआरएस। (2022) 443 आई. टी. आर. 382 (कर्नाटक); आयकर आयुक्त (केंद्रीय)-III v. काबुल चावला (2016) 380 आई. टी. आर. 573 (दिल्ली); प्रधान आयकर आयुक्त,

मध्य-2, नई दिल्ली बनाम। मीता गुटगुटिया (2017) 395 आई. टी. आर. 526 (दिल्ली); चिंटेल्स इंडिया लिमिटेड बनाम। आयकर उपायुक्त-सर्कल-8, दिल्ली (2017) 397 आईटीआर 416

(दिल्ली); श्री। एस. एम. कमल पाशा बनाम डिप्टी

आय आयुक्त-कर केंद्रीय सर्कल-6 (3) (2) बैंगलोर (2022 (8) टी. एम. आई. 966 (कर्नाटक); प्रधान आयकर आयुक्त-2 v. जय इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड 2016 (10) टी. एम. आई. 1022 (गुजरात); श्रीमती. जामी निर्मला बनाम। प्रधान आयकर आयुक्त

(2021) 437 आई. टी. आर. 573 (उड़ीसा); स्मृतिसुधा नायक बनाम। भारत संघ (2021) 439 आईटीआर 193 (उड़ीसा); [2023] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आयकर आयुक्त, कोलकाता बनाम। वीरप्रभु

मार्केटिंग लिमिटेड (2016) 388 आईटीआर 574 (कलकत्ता);

प्रधान आयकर आयुक्त-2, कोलकाता बनाम।

एम/एस। सालासर स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड 2016 (8) टी. एम. आई. 1131

(कलकत्ता); प्रा. आयकर आयुक्त-केंद्रीय,

जयपुर बनाम. श्रीमती. दक्ष जैन, सिरोही 2019 (8) टी. एम. आई. 474

(राजस्थान); डॉ. ए. वी. श्रीकुमार बनाम आयुक्त

आयकर विभाग, कोच्चि और सहायक आयुक्त

आयकर, कालीकट (2018) 404 आई. टी. आर. 642 (केरल); प्रा.

एस. सी. सी. ऑनलाइन सभी 444: (2022) 447 आईटीआर 517-संदर्भित को।

मामला कानून संदर्भ

[2017] 8 एससीआर 463

संदर्भित किया गया है

पैरा 4.2

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 6580

2021 से।

उच्च न्यायालय के 05.08.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2018 की आयकर अपील संख्या 240 में नई दिल्ली में दिल्ली सरकार की ओर से।

के साथ

सिविल अपील सं। 4264 2018 का, 2020 का 2648,2021 का 6585,3044,

3045 2023 का, 2021 का 6593,2023 का 3043,2022 का 9097,2023 का 741,2021 का 6582,2020 का 721,2021 का 6611, आर. पी. (सिविल) 2018 की सिविल अपील संख्या 4484 में 2023 की संख्या 223,2018 की 9100,9106,2022 की 9111,2023 की 565-566,567 568,824,541,2023 की 540,2015 की 14702,2017 की 17533,6596,7028,7029,6610,7030,6608,2021 की 6594,2019 की 7338,6609,6605,2020 की 1505,734,7016,7017,7015,6584,6589,7026 2021 की, 9098,9099,2022 की, 3053,2018 की, 7014,6583,7027,6899 2021 की।

एन. वेंकटरमन, ए. एस. जी., अरिजीत प्रसाद, कविन गुलाटी, प्रतीक

कपूर, अरविंद पी. दातार, सलिल अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता। , एस. ए. हसीब, जोहेब हुसैन, सुश्री गार्गी खन्ना, सुश्री निरंजना सिंह, प्रह्लाद सिंह, राजन कुमार चौरसिया, प्रशांत सिंह द्वितीय, सुश्री अलका अग्रवाल, राघवेन्द्र शुक्ला, सुश्री श्रुति शिवकुमार, वी. चंद्रशेखर बालाजी, सुश्री अमृता चंद्र मौली, राहुल विजय कुमार, राज बहादुर यादव, अमरीश कुमार, श्रीमती अनिल कटियार, पवनश्री अग्रवाल, सुश्री सौम्या धनकानी, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, सेंट्रल-3 वी.

1.

1.1 2.

(

अभिलेख पर उपलब्ध सभी सामग्रियों पर विचार करना, जिसमें यह भी शामिल है कि

खोज के दौरान पाया जाता है, और 'कुल आय' का आकलन करता है। कुछ उच्च न्यायालय उक्त प्रस्ताव से सहमत हैं। तथापि, संबंधित मूल्यांकनकर्ताओं के अनुसार और उच्च न्यायालयों के कुछ निर्णयों के अनुसार, यदि तलाशी शुरू होने की तारीख को कोई मूल्यांकन कार्यवाही लंबित नहीं है, तो एओ केवल तलाशी के दौरान पाई गई आपत्तिजनक सामग्री पर विचार कर सकता है और किसी अन्य स्रोत से प्राप्त किसी भी अन्य सामग्री पर विचार करने से वंचित है।

3. राजस्व और एस/श्री अरविंद पी. दातार, कविन गुलाटी, प्रीतीश कपूर, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं और श्री वेद की ओर से भारत के विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री एन. वेंकटरमन पेश हुए हैं। जैन, विद्वान वकील संबंधित निर्धारिती की ओर से पेश हुए हैं।

3.1 श्री एन. वेंकटरमन, विद्वान ए. एस. जी. ने राजस्व की ओर से निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दी हैं:

निवासी व्यक्ति में किसी भी स्रोत से प्राप्त सभी आय शामिल होती है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए आयकर एक निवासी निर्धारिती के मामले में प्राप्त किसी भी स्रोत से सभी आय पर एक कर है। इसलिए, यदि कोई कर योग्य आय छूट जाती है, तो परिणामी आंकड़ा 'आंशिक आय' होगी, न कि 'कुल आय'। यह है। प्रस्तुत किया कि अधिनियम, 1961 के किसी भी प्रावधान की कोई भी व्याख्या जो 'कुल आय' के किसी भी हिस्से को कराधान के दायरे से बाहर करने का प्रयास करती है, कराधान की योजना के विपरीत है और इसलिए इसकी अनुमति नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस प्रकार आयकर 'कुल आय' पर एक कर है, निर्धारिती 'कुल आय' (अधिनियम, 1961 की धारा 139 के अनुसार) की विवरणी प्रस्तुत करता है और ए. ओ.

' केवल कुल आय।

ii) इसके बाद यह प्रस्तुत किया जाता है कि संबंधित मुद्दे पर विचार करते समय, मूल्यांकन/पुनर्मूल्यांकन आदेश पारित करने के तरीके और तरीके पर विचार किया जाना आवश्यक है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अधिनियम, 1961 की धारा 139 एक निर्धारिती से अपनी कुल आय की विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा करती है-एन. सी. आई. पी. ए. एल. आय कर आयुक्त, केंद्रीय-3 वी.

अभिसार बिल्डवेल पी. लिमिटेड। [एम. आर. शाह, जे.]

पिछले वर्ष के लिए। वापसी को धारा 143 (1) के तहत संसाधित किया जाता है। उप-धारा (2) और (3) में एओ द्वारा 'कुल आय' के आकलन का प्रावधान है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस बात की संभावना है कि कर के लिए प्रभार्य आय पहली बार में मूल्यांकन से बच गई है। अधिनियम, 1961 की धारा 147 एओ को मामले का आकलन या पुनर्मूल्यांकन करने और ऐसी आय पर कर लगाने में सक्षम बनाती है। इस प्रकार, अधिनियम, 1961 में 'कुल आय' के निर्धारण और उस पर कर संग्रह की सुविधा के लिए विस्तृत तंत्र शामिल है।

iii) यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि एओ को 'कुल आय' को सही ढंग से निर्धारित करने के लिए, निर्धारिती के साथ-साथ तीसरे पक्ष से भी जानकारी एकत्र करने की आवश्यकता होती है। कानून में कई प्रावधान हैं जो विभाग को संबंधित जानकारी एकत्र करने में सक्षम बनाते हैं

निर्धारिती, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, ताकि उसे पता लगाने में सक्षम बनाया जा सके

कर चोरी और 'कुल आय' का उचित आकलन करना। अधिनियम, 1961 की धारा 132 एक ऐसा प्रावधान है जो 'तलाशी और जब्ती' करने में सक्षम बनाता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अधिनियम, 1961 की धारा 132 एक निर्धारिती द्वारा कर चोरी से संबंधित जानकारी एकत्र करने का एक साधन है। यह सुनिश्चित करने के लिए अन्य प्रावधान हैं कि निर्धारिती का मूल्यांकन उनकी 'कुल आय', अर्थात् धारा 142,131,133,133ए और 285बीए पर सही ढंग से किया जाता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसके अलावा, विभाग को संबंधित जानकारी मिलती रहती है -

विभिन्न स्रोतों से निर्धारिती, अर्थात। :

(i) वित्तीय खुफिया से संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट

इकाई (एफ. आई. यू.)

((ii) अन्य कराधान प्राधिकरणों से जानकारी। जीएसटी, और

विधि प्रवर्तन अभिकरण, अर्थात। ईडी, आदि।

(iii) सूचना के स्वचालित आदान-प्रदान के साथ-साथ कर संधियों और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के तहत अनुरोध के आधार पर विदेशी कर क्षेत्राधिकारों से जानकारी। (
(iv) उनसे और उनके आधार पर दस्तावेजों और साक्ष्यों को एकत्र करना।

तृतीय पक्ष स्रोत।

(v) यह सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध जानकारी भी एकत्र करता है और सूचना देने वालों, कर चोरी याचिकाओं आदि से भी प्राप्त करता है।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि तलाशी और जब्ती सहित इन सभी स्रोतों से एकत्र की गई जानकारी का उपयोग अंततः 'कुल आय' का आकलन करने के लिए किया जाना है।

iv) श्री एन. वेंकटरमन, विद्वान एएसजी ने हमें एक तलाशी मामले में मूल्यांकन की योजना पर ले गए हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि 30/06/1995 से पहले की अवधि के लिए, शुरू में, खोज मामलों के मूल्यांकन के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं था। वे आकलन मूल्यांकन से संबंधित नियमित प्रावधानों के अनुसार किए गए थे

आय, अर्थात अधिनियम, 1961 की धारा 143 (3) या धारा 147। इसलिए, मूल्यांकन में तलाशी के दौरान पाई गई आपत्तिजनक सामग्री के साथ-साथ किसी अन्य स्रोत से एओ के ध्यान में आने पर विचार किया गया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसके बाद वित्त अधिनियम, 1995 ने तलाशी मामलों के मूल्यांकन के लिए एक विशेष प्रक्रिया शुरू की। तलाशी मामलों के मूल्यांकन के लिए अध्याय XIV-B-विशेष प्रक्रिया द्वारा धारा 158B से लेकर 158BG तक के प्रावधानों का एक समूह पेश किया गया था। अध्याय XIV-B की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

(i) 30 जून, 1995 के बाद अधिनियम की धारा 132 या 132ए के तहत शुरू की गई कोई भी तलाशी, एओ अध्याय XIV-B के प्रावधानों के अनुसार अघोषित आय का आकलन करने के लिए आगे बढ़ेगा।

((ii) इसने ब्लॉक अवधि से संबंधित कुल अघोषित आय के निर्धारण को ब्लॉक अवधि की आय के रूप में अधिनियम की धारा 113 के तहत निर्दिष्ट दर पर कर लगाने के लिए अनिवार्य किया।

इस बात की परवाह किए बिना कि पिछले वर्ष या वर्ष जिनसे ऐसी आय संबंधित है और इस तथ्य की परवाह किए बिना कि क्या किसी एक या अधिक प्रासंगिक मूल्यांकन वर्षों के लिए नियमित मूल्यांकन लंबित है।

या नहीं। (iii) धारा 158बी (ए) "अवरोध अवधि" को परिभाषित करती है।

" खंड अवधि "से वह अवधि अभिप्रेत है जिसमें पिछले वर्ष से पहले के छह निर्धारण वर्षों के लिए प्रासंगिक पिछले वर्ष शामिल हैं जिसमें धारा 132 के तहत तलाशी ली गई थी या धारा 132ए के तहत कोई मांग की गई थी और इसमें धारा 132ए के तहत कोई मांग भी शामिल है।

ऐसी तलाशी शुरू होने की तारीख या पिछले वर्ष में ऐसी मांग की तारीख तक की अवधि जिसमें उक्त खोज की गई थी या मांग की गई थी:

1 जून, 2001 से पहले किए गए इस खंड के प्रावधान इस तरह प्रभावी होंगे जैसे कि "छह निर्धारण वर्ष" शब्दों के लिए, "दस मूल्यांकन वर्ष" शब्दों को प्रतिस्थापित किया गया था; "एन. सी. आई. पी. ए. एल. आय कर आयुक्त, केंद्र-3 वी.

अभिसार बिल्डवेल पी. लिमिटेड। [एम. आर. शाह, जे.]

(iv) धारा 158बी (बी) "अघोषित आय" को परिभाषित करती हैः

" अघोषित आय में कोई भी पैसा, सोना-चांदी, आभूषण शामिल हैं।

या अन्य मूल्यवान वस्तु या वस्तु या किसी भी आधार पर कोई आय

लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों या लेन-देनों में प्रविष्टि, जहां ऐसा धन, सोना-चांदी, आभूषण, मूल्यवान वस्तु, वस्तु, लेखा बहियों में प्रविष्टि या अन्य दस्तावेज या लेन-देन पूरी तरह या आंशिक रूप से आय या संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है जिसका इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए खुलासा नहीं किया गया है या नहीं किया गया है, या इसके तहत दावा किया गया कोई खर्च, कटौती या भत्ता। यह अधिनियम जो झूठा पाया गया है।

A. अघोषित आय B. ब्लॉक अवधि के लिए जो 6 साल है यदि खोज 01.06.2001 से पहले की है और 10 साल का पोस्ट 01.06.2001 है।

ग. धारा 113 में निर्दिष्ट दर पर।

घ. धारा 158ख (क) के स्पष्टीकरण में यह भी अनिवार्य किया गया है कि इस अध्याय के तहत किया गया निर्धारण ब्लॉक अवधि में शामिल प्रत्येक पिछले वर्ष के संबंध में नियमित मूल्यांकन के अतिरिक्त होगा।

ई. ब्लॉक अवधि से संबंधित कुल अघोषित आय में ऐसी ब्लॉक अवधि की आय के रूप में किसी भी नियमित मूल्यांकन में निर्धारित आय शामिल नहीं होगी।

च. इस अध्याय में निर्धारित आय को खंड अवधि में शामिल किसी भी पिछले वर्ष के नियमित निर्धारण में शामिल नहीं किया जाएगा।

(vi) धारा 158खख ब्लॉक अवधि की अघोषित आय की गणना तंत्र प्रदान करती है जो इस प्रकार हैः (i) इस अध्याय के तहत जिस पर कर लगाया जा सकता है, वह केवल ब्लॉक अवधि की अघोषित आय है।

((ii) यह अघोषित आय कुल आय का हिस्सा होनी चाहिए। हालाँकि, यह अध्याय स्वतंत्र और अलग होने की अनुमति देता है।

ब्लॉक अवधि के लिए अघोषित आय के लिए निर्धारण और इसलिए इसमें नियमित आय का हिस्सा बनने वाली कुल आय शामिल नहीं हो सकती है।

मूल्यांकन।

(iii) दूसरे शब्दों में, धारा 143/147 के तहत आने वाली नियमित मूल्यांकन/पुनर्मूल्यांकन का हिस्सा बनने वाली आय दोनों

क्रमशः, और ब्लॉक के लिए अघोषित आय पर मूल्यांकन

खंड 143/147 क्रमशः। जबकि, ब्लॉक अवधि के लिए अघोषित आय का आकलन अलग से किया जाएगा। धारा 158 बी. सी. (सी) के तहत मूल्यांकन।

((v) इसलिए तीन बातें स्पष्ट हैं। आयकर अधिनियम की मूल भावना कुल आय पर कर लगाना है। नियमित मूल्यांकन/पुनर्मूल्यांकन एक धारा यू/एस 143/147 और, अघोषित आय के ब्लॉक मूल्यांकन को अघोषित आय की एक और धारा के रूप में बनाता है।

(vi) कुल आय की गणना और उस पर कराधान के लिए दो अलग-अलग आकलनों के परिणामस्वरूप, धारा 158खबी ने खंड अवधि की अघोषित आय की गणना में निम्नलिखित बहिष्करणों को धारा 158खख के तहत मूल्यांकन करने की अनुमति दी जो हैं:

ए। धारा 143 (मूल्यांकन), धारा 144 (सर्वोत्तम निर्णय मूल्यांकन) और धारा 147 (पुनर्मूल्यांकन) के तहत मूल्यांकन। बी। जहां धारा 139 के तहत विवरणी दाखिल की गई है या धारा 142 (1) या धारा 148 के तहत नोटिस जारी किए गए हैं, लेकिन आय के आधार पर खोज की मांग की तारीख तक आकलन नहीं किया गया है।

इस तरह के विवरणी में प्रकट किया गया।

सी। इसी तरह, धारा 158बी (बी) (खंड सी से एफ) अन्य संभावित क्रमपरिवर्तनों को बाहर करने के लिए आगे बढ़ती है। सार यह है कि यदि आय का या तो खुलासा किया जाता है या प्रकटीकरण की अवधि अभी खत्म नहीं हुई है, या मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन किया जाता है या निपटान आयोग के समक्ष निपटाया जाता है, या अघोषित आय का आकलन किया जाता है।

धारा 158सी के खंड सी के तहत पहले ही बनाया जा चुका है। डी। धारा 158बी. बी. (3) ने निर्धारिती पर यह साबित करने का बोझ डाला कि किसी भी अघोषित आय का खुलासा पहले ही किया जा चुका है।

निर्धारिती द्वारा दाखिल की गई आय की किसी भी विवरणी में,

खोज या माँग की शुरुआत, जैसा भी मामला हो

हो सकता है।

ई. संक्षेप में, ब्लॉक अवधि के लिए अघोषित आय पर मूल्यांकन आय कर के आई. पी. ए. एल. आयुक्त, केंद्र-3 अभिसार बिल्डवेल पी. लिमिटेड के बाकी आकलनों से एक स्वतंत्र मूल्यांकन है।

[एम. आर. शाह, जे.]

जिन सभी को एक साथ रखा गया है, वे कुल मूल्यांकन में निहित होंगे।

आय।

(vii) धारा 158BC ब्लॉक के लिए प्रक्रिया प्रदान करती है।

ब्लॉक की अघोषित आय का आकलन और निर्धारण

धारा 158खख में निर्धारित तरीके से अवधि और

धारा 142, धारा 143 की उप-धारा 2 और 3, अधिनियम की धारा 144 और धारा 145 के प्रावधान और ए. ओ. एक मूल्यांकन आदेश पारित करने और कर निर्धारित करने के लिए आगे बढ़ेंगे।

अधिनियम की धारा 158 बी. सी. (सी) के तहत और गणना का तरीका अधिनियम की धारा 158 बी. बी. के अनुसार होगा। (viii) धारा 158बीडी किसी अन्य व्यक्ति की अघोषित आय का आकलन प्रदान करती है। धारा 158बीई खंड मूल्यांकन की प्रतिस्पर्धा के लिए समय सीमा प्रदान करती है। धारा 158बी. एफ. ब्याज से संबंधित विभिन्न प्रावधानों की अप्रयोज्यता को संदर्भित करती है।

और दंड, और धारा 158बीजी सक्षम की पहचान करता है

अधिकारी जो ब्लॉक मूल्यांकन आदेश पारित कर सकते हैं।

) यह प्रस्तुत किया जाता है कि ऊपर उल्लिखित अध्याय XIV-B के तहत योजना लगभग आठ वर्षों से लागू थी, लेकिन वांछित परिणाम प्राप्त करने में विफल रही। इसलिए ऐसा ही हुआवित्त अधिनियम, 2003 द्वारा एक अन्य योजना द्वारा रखा गया। इसमें शुरू की गई विशेष प्रक्रिया की मुख्य विशेषताओं पर प्रस्तुत किया जाता है।

003 वे इस प्रकार थेः

(i) समानांतर मूल्यांकन की योजना को मंजूरी दी गई थी। तलाशी के दौरान पाई गई अघोषित आय को शामिल करते हुए 'कुल आय' का एक ही आकलन किया जाना था

साथ ही किसी अन्य स्रोत से पाया गया।

((ii) 'ब्लॉक पीरियड' की अवधारणा को मंजूरी दी गई थी। अस्थायी इकाई के रूप में 'मूल्यांकन वर्ष' की अवधारणा थी

पुनर्स्थापित किया।

((iii) निर्धारण धारा 153ए के तहत किया जाना था, न कि मूल्यांकन/पुनर्मूल्यांकन के लिए नियमित रूप से नियोजित धाराओं के तहत, यानी

धारा 143 (3)/147।

(iv) धारा 153ए के तहत मूल्यांकन अनिवार्य और स्वचालित होना था।

एक ऐसे मामले में जहां तलाशी ली गई थी।

(v) निर्धारण वर्ष से पहले के छह निर्धारण वर्षों में से प्रत्येक के लिए धारा 153ए के तहत मूल्यांकन किया जाना था, जो पिछले वर्ष के लिए प्रासंगिक था जिसमें खोज की गई थी।

आयोजित किया गया।

(vi) जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, दूसरे परंतुक में निर्धारित किया गया है कि किसी भी मूल्यांकन वर्ष के लिए मूल्यांकन/पुनर्मूल्यांकन

ऊपर निर्दिष्ट 6 मूल्यांकन वर्षों में से) खोज शुरू होने की तारीख को लंबित रहने पर यह समाप्त हो जाएगा और एकल मूल्यांकन केवल धारा 153ए के तहत किया जाएगा।

प्रस्तुत किया जाता है कि निम्नलिखित अनुभाग की मुख्य विशेषताएं हैं

3अधिनियम, 1961 का एः

(i) धारा 153ए धारा 139,147,149,151 और 153 के लिए एक अबाधित प्रावधान है और इस धारा के तहत कार्यवाही शुरू करने का अधिकार क्षेत्र का कारण वह होगा जहां 31 मई के बाद अधिनियम की धारा 132 के तहत तलाशी शुरू की जाती है या लेखा पुस्तकों, अन्य दस्तावेजों या किसी संपत्ति की मांग की जाती है।

2023 .

(ii) धारा 153ए के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए अधिकार क्षेत्र की आवश्यकता धारा 132 के तहत एक खोज या धारा 132ए के तहत एक मांग होगी। (iii) एओ को प्रत्येक मूल्यांकन के लिए नोटिस जारी करने की अनुमति देना।

छह मूल्यांकन वर्षों के भीतर आने वाला वर्ष।

((iv) निर्धारण वर्ष से ठीक पहले के छह निर्धारण वर्षों की कुल आय का आकलन या पुनर्मूल्यांकन करना, जो पिछले वर्षों के लिए प्रासंगिक है जिसमें ऐसी खोज की जाती है या मांग की जाती है।

(v) एओ छह मूल्यांकन वर्षों के भीतर आने वाले प्रत्येक मूल्यांकन वर्ष के संबंध में निर्धारिती या पुनर्मूल्यांकन करेगा और नहीं

एक खंड के रूप में, और प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष/वर्षों के लिए।

(vi) धारा 153 ए (2) में कहा गया है कि यदि धारा 153 ए (1) के तहत किए गए मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन का आदेश अपील या किसी अन्य कानूनी कार्यवाही में रद्द कर दिया जाता है, तो ऐसे

आकलन और पुनर्मूल्यांकन जो उप के दूसरे परंतुक के तहत समाप्त हो गए थे, ऐसी धारा 132 की शुरुआत या धारा 132 ए के तहत मांग की तारीख पर लंबित हैं।

कम हो जाएगा।

एन. सी. आई. पी. ए. एल. आय कर आयुक्त, केंद्र-3 वी. अभिसार बिल्डवेल पी. लिमिटेड। [एम. आर. शाह, जे.]

(viii) यह पुनरुद्धार धारा 153 ए या धारा 153 की उप-धारा 1 के तहत निहित किसी भी चीज़ के बावजूद है। धारा 153ए (2) के परंतुक में कहा गया है कि इस तरह के पुनरुद्धार का प्रभाव फिर से समाप्त हो जाएगा यदि रद्द करने का आदेश जिसने उक्त को जन्म दिया पुनरुत्थान को अलग रखा जाता है।

(vi) यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए अधिनियम, 1961 की भावना कुल आय का आकलन करना है। पहले की व्यवस्था ने समानांतर अनुमति दी थी

अध्याय XIV-B के तहत ब्लॉक अवधि के लिए अघोषित आय। जबकि नई व्यवस्था ने समानांतर मूल्यांकन योजना को छोड़ दिया है और इसे एक एकीकृत मूल्यांकन में बदल दिया है, एक बार जब धारा 132 के तहत खोज शुरू हो जाती है या धारा 132ए के तहत पुस्तकें या मांग की जाती है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि धारा 132 के तहत किसी भी तलाशी या धारा 132ए के तहत मांग के अभाव में, मूल्यांकन 'कुल आय' की धारा 143,144 और 147 के तहत की जानी चाहिए, यानी नियमित मूल्यांकन, सर्वोत्तम निर्णय मूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन। यह प्रस्तुत किया जाता है कि नई योजना से पहले, जब कोई खोज शुरू की जाती है या कोई मांग होती है, तो सामान्य

बिना किसी हस्तक्षेप और अघोषित आय के ब्लॉक मूल्यांकन के मूल्यांकन/पुनर्मूल्यांकन की अनुमति दी गई थी

इसे स्वतंत्र रूप से बनाने की अनुमति दी गई थी। हालाँकि, डब्ल्यू. ई. एफ. 01.06.2003 द्वारा लाई गई नई योजना ने इस संरचना को ध्वस्त कर दिया है और धारा 153 ए निम्नलिखित अनुक्रम की कल्पना करती हैः

ए। धारा 153ए के तहत कार्यवाही शुरू करने की शक्ति का अधिकार क्षेत्र का प्रयोग केवल धारा 132 के तहत तलाशी या धारा 132ए के तहत मांग शुरू होने पर शुरू होगा और उससे पहले नहीं।

बी। एक बार जब खोज शुरू हो जाती है या मांग की जाती है, तो प्रत्येक अन्य प्रावधान के तहत मूल्यांकन प्रक्रिया

आयकर अधिनियम समाप्त हो जाएगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सी। यह धारा 153ए (1) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति के आधार पर स्पष्ट है "धारा 139,147,148,149,151 और 153 में कुछ भी निहित होने के बावजूद"। एक गैर-जिद्दी प्रावधान होने के नाते,

धारा 153ए इन सभी प्रावधानों को हटा देती है।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि ओवरराइड किस हद तक काम करता है, यह भी धारा 153ए द्वारा निम्नलिखित तरीके से स्पष्ट किया गया हैः

153ए (1) (बी) कुल के मूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन की अनुमति देता है।

आई.

उस पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष से ठीक पहले के छह निर्धारण वर्षों की आय जिसमें ऐसी खोज की जाती है या मांग की जाती है।

और मूल्यांकन वर्ष/वर्षों के लिए। संसद ने "गध" या अभिव्यक्तियों को चुना है।

II.

" कुल आय का पुनर्मूल्यांकन करें। यह कुल आय है न कि अघोषित आय।

III.

जिसका निर्धारण यू/एस 153ए के तहत किया जाना आवश्यक है। अभिव्यक्ति

" अघोषित आय "जिसे निम्नानुसार परिभाषित किया गया था

पूर्ववर्ती योजना धारा 158बी (बी) में ऐसा नहीं पाया गया है कि

नई योजना के तहत संदर्भ या उल्लेख।

इसी तरह, प्रत्येक वर्ष छह वर्षों की विचाराधीन आवश्यकताओं में

IV.

स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए न कि एक ब्लॉक के रूप में जिसे फिर से पूर्ववर्ती योजना यू/एस 158 बी (ए) के तहत परिभाषित किया गया था, जो इसके अभाव से स्पष्ट है

नई योजना।

इसलिए, दोहरी शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता है

वी.

धारा 153क (1)

A. मूल्यांकन वर्षवार पूरा किया जाना चाहिए और

ब्लॉक अवधि के लिए नहीं और
ख. आकलन कुल आय के लिए किया जाना चाहिए न कि केवल अघोषित आय के लिए।

(vii) यह प्रस्तुत किया जाता है कि एक बार जब यह स्पष्ट और स्पष्ट हो जाता है, तो धारा 153 ए (2) के साथ पठित धारा 153 ए (1) के दूसरे परंतुक की व्याख्या का दायरा स्पष्ट और स्पष्ट हो जाता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अधिनियम, 1961 की धारा 153ए की योजना के अनुसार, दो समानांतर आकलनों से बचना होगा। अतः किसी भी

एन. सी. आई. पी. ए. एल. आय कर आयुक्त, केंद्र-3 v. की तारीख को लंबित धारा 143,144 और 147 के तहत मूल्यांकन।

अभिसार बिल्डवेल पी. लिमिटेड। [एम. आर. शाह, जे.]

" उसी परंतुक में प्रयुक्त पुनर्मूल्यांकन, अर्थात, इसे धारा 153 ए (1) (बी) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति के साथ पढ़ा जाना चाहिए "कुल आय का आकलन या पुनर्मूल्यांकन" और अंत में अधिनियम की धारा 153ए (1) के तहत प्रारंभिक वाक्यांश के रूप में दिखाई देने वाली अभिव्यक्ति "इसके बावजूद"।

(viii) यह प्रस्तुत किया जाता है कि दूसरे परंतुक में दिखाई देने वाली "निर्धारण" या "पुनर्मूल्यांकन" अभिव्यक्ति और धारा 153 ए (1) (बी) में दिखाई देने वाली "कुल आय का आकलन या पुनर्मूल्यांकन" अभिव्यक्तियों का उपयोग सावधानीपूर्वक किया गया है।

संसद स्पष्ट और विशिष्ट इरादे व्यक्त करे। यह प्रस्तुत किया जाता है कि दूसरे परंतुक में दिखाई देने वाली अभिव्यक्ति "मूल्यांकन" या "पुनर्मूल्यांकन" के तहत लंबित आकलन को संदर्भित करता है। धारा 143,144 और 147 जो समाप्त हो जाएगी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जबकि धारा 153 ए (1) (बी) में दिखाई देने वाली "कुल आय का आकलन या पुनर्मूल्यांकन" लंबित मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन को नहीं दर्शाता है, बल्कि छह के लिए धारा 153 ए के तहत किया जाने वाला मूल्यांकन है।

मूल्यांकन वर्ष। यह फिर से प्रस्तुत किया जाता है कि संसद ने

अधिनियम, 1961 की धारा 153 ए (1) (बी) के तहत दूसरे परंतुक में 'कुल आय' अभिव्यक्ति का सावधानीपूर्वक उपयोग नहीं किया गया है। दूसरे परंतुक में चूक और धारा 153ए (1) (बी) के तहत समावेशन बेहद महत्वपूर्ण है। दूसरे परंतुक के तहत चूक आवश्यक है क्योंकि उन लंबित निर्धारणों को धारा 132 के तहत तलाशी शुरू करने या धारा 133 के तहत मांग करने पर समाप्त कर दिया जाता है, क्योंकि कुल आय का मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन तलाशी या मांग के परिणामस्वरूप फिर से किया जाना है। लेकिन जब बात आती है

धारा 153ए (10 (बी) ए. ओ. को खोज या मांग के परिणामस्वरूप 'कुल आय' का आकलन या पुनर्मूल्यांकन करने के लिए अधिकृत करती है।

(ix) यह प्रस्तुत किया जाता है कि एक बार खोज या मांग शुरू होने के बाद, सभी लंबित आकलन या पुनर्मूल्यांकन समाप्त हो जाएंगे। वे करेंगे। धारा 153 (1) (बी) के तहत पारित किए जाने वाले मूल्यांकन/पुनर्मूल्यांकन में शामिल हो जाएं और एओ छह मूल्यांकन वर्षों में से प्रत्येक के लिए एक मूल्यांकन आदेश पारित करेगा, जिसमें सभी लंबित हैं।

आकलन और पुनर्मूल्यांकन और धारा [2023] 7 एस. सी. आर. के तहत ऐसा आदेश।

153 (1) (ख) छह निर्धारण वर्षों में से प्रत्येक के लिए 'कुल आय' के लिए होगी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि का आदेश होना चाहिए उप-धारा 1 के तहत मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन रद्द कर दिया जाता है, कम की गई कार्यवाहियों को पुनर्जीवित किया जाएगा।

धारा 132 के तहत तलाशी या धारा 132ए के तहत मांग और अघोषित आय का पता लगाने वाली किसी भी आपत्तिजनक सामग्री की जब्ती नहीं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि किसी भी वैधानिक अधिदेश के अभाव में, कोई भी व्याख्या कि धारा 153 ए के तहत मूल्यांकन का दायरा तलाशी के दौरान पाई गई आपत्तिजनक सामग्री तक सीमित होना चाहिए, पूरी तरह से गलत और अस्थिर है, विशेष रूप से इस तथ्य पर विचार करते हुए कि धारा 153 ए 'कुल आय' के मूल्यांकन की आवश्यकता है और कानून का सहारा लेने से रोकता है। नियमित प्रावधान, अर्थात। , धारा 143 (3)/147 आय का आकलन करने के लिए जो एओ के रिकॉर्ड पर आने वाली सामग्री से संबंधित हो सकती है।

खोज के अलावा अन्य स्रोतों से।

(xi) यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब धारा 153क में 'कुल आय' के निर्धारण की आवश्यकता होती है, तो क्या इसकी व्याख्या इस तरह की जा सकती है कि निर्धारण करते समय 'कुल आय' के एक हिस्से को बाहर रखा जाए? यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि तलाशी के अलावा अन्य स्रोतों से आपत्तिजनक सामग्री पर आधारित आय को धारा 153ए के तहत मूल्यांकन से बाहर रखा जाता है, तो उसे कर में कैसे लाया जा सकता है? यह प्रस्तुत किया जाता है कि धारा 153ए की भाषा और अर्थ स्पष्ट और असंदिग्ध है, अर्थात, यदि अधिनियम, 1961 की धारा 132 के तहत किसी मामले में खोज की जाती है, तो पिछले वर्ष से संबंधित मूल्यांकन वर्ष के लिए लंबित छह मूल्यांकन वर्षों में से प्रत्येक के लिए 'कुल आय' का मूल्यांकन किया जाता है। जिसमें इस तरह की खोज की जाती है, उसे करना पड़ता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए ऑल कार्गो ग्लोबल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड के मामले में न्यायाधिकरण की विशेष पीठ का निर्णय। डिप्टी

आयकर आयुक्त, (2012) 18 आई. टी. आर. (जनजाति) 106 (आई. टी. ए. टी./एम. एम.) दिनांक 06.07.2012 और आयकर आयुक्त के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय,

मध्य-III v. काबुल चावला, (2015) 61 टैक्समैन।

दिल्ली) दिनांकित 28.08.2015 मैदान के अनुरूप नहीं है।धारा 153ए का तर्क और अर्थ और इस प्रक्रिया में, अधिनियम की 'आरोप धारा' के उद्देश्य को विफल कर देता है।

संबंधित मूल्यांकनकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने

निम्नलिखित प्रस्तुतियाँः

अपीलों का समुच्चय है, कि क्या पूर्ण किए जाने के संबंध में आकलन/बेरोकटोक आकलन, क्या मूल्यांकन करने के लिए आकलन अधिकारी का अधिकार क्षेत्र इन तक सीमित है

अधिनियम की धारा 132 के तहत तलाशी के दौरान मिली आपत्तिजनक सामग्री या नहीं, यानी क्या धारा 132 के तहत तलाशी के दौरान मिली किसी भी आपत्तिजनक सामग्री के अभाव में आकलन अधिकारी द्वारा कोई जोड़ किया जा सकता है। अधिनियम, 1961 का या नहीं।

(ii) यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह मामला राजस्व की ओर से है।

कि धारा के तहत कुल आय का आकलन करने की अधिकारिता

153ए धारा 132 के तहत 'खोज' पर उत्पन्न होता है और यह कि

न्यायक्षेत्र दोषारोपण का पता लगाने पर निर्भर नहीं है

खोज के दौरान सामग्री। उपरोक्त के लिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि हालांकि धारा 153ए के तहत नोटिस जारी करने का अधिकार क्षेत्र तलाशी के परिणामस्वरूप उत्पन्न हो सकता है, लेकिन आय का आकलन या पुनर्मूल्यांकन करने का अधिकार क्षेत्र केवल 'तलाशी' के आधार पर नहीं माना जा सकता है, विशेष रूप से जब तलाशी के दौरान कोई आपत्तिजनक सामग्री का पता नहीं चलता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि धारा 153ए के तहत मूल्यांकन धारा 143 (3) के तहत नियमित मूल्यांकन के समान नहीं है जैसा कि राजस्व द्वारा विरोध किया जा रहा है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अधिनियम, 1961 की योजना के तहत, मूल्यांकन करने के लिए अलग-अलग प्रावधान हैं, अर्थात्, (1) धारा 143 (3) के तहत नियमित मूल्यांकन; (2) धारा 144 के तहत सर्वश्रेष्ठ निर्णय मूल्यांकन; (3) निम्नलिखित मामलों में पुनर्मूल्यांकनः

धारा 147 के तहत निर्धारण से बचने वाली आय; और (4) धारा 153 ए के तहत मूल्यांकन के तहत खोज के परिणामस्वरूप

धारा 132।

iii) यह प्रस्तुत किया जाता है कि धारा 153 ए के तहत मूल्यांकन एक है

खोज के परिणामस्वरूप मूल्यांकन के लिए विशेष प्रक्रिया

और धारा 143 (3) के तहत नियमित जांच मूल्यांकन या अधिनियम, 1961 की धारा 147 के तहत पुनर्मूल्यांकन से अलग है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह प्रस्तुत किया जाता है कि धारा 153ए का शीर्षक "खोज या मांग के मामले में मूल्यांकन" है। धारा 153ए के तहत उस आकलन को धारा 132 के तहत तलाशी या धारा 132ए के तहत मांग के बाद किया जाना आवश्यक है। कि महत्वपूर्ण शब्द

" खोज "और" मांग "मूल प्रावधान में दिखाई देते हैं और धारा 153ए के प्रावधानों को तदनुसार खोज और मांग से संबंधित ऐसे प्रावधानों, यानी धारा 132 और 132ए के आलोक में पढ़ा जाना चाहिए। कि दोनों प्रावधान 132 और 132ए तलाशी और मांग पर विचार करते हैं जहां निर्धारिती द्वारा अपनी आय का खुलासा करने की संभावना नहीं है और उक्त प्रावधान इस प्रकार हो सकते हैं -

केवल उसमें वर्णित परिस्थितियों में ही इसका सहारा लिया गया। वह धारा 132 (1) (सी) राजस्व को उस स्थिति में तलाशी लेने का अधिकार देती है जब निर्दिष्ट अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि कोई व्यक्ति इस मामले में शामिल है।

किसी भी धन, सर्राफा, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु का कब्जा

निर्धारिती ने खुलासा नहीं किया है या होने की संभावना नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि धारा 153ए के तहत मूल्यांकन अधिनियम, 1961 की धारा 132 और 132ए के तहत खोज और मांग से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह स्पष्ट है कि धारा का उद्देश्य उस अघोषित आय पर कर लगाना है जो इस अवधि या अवधि के दौरान पाई जाती है। खोज या माँग के अनुसार।

iv) यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि यदि धारा 143 (3) के तहत नियमित मूल्यांकन करने की समय सीमा लंबित है या तलाशी की तारीख तक कोई मूल्यांकन चल रहा है, तो उक्त मूल्यांकन समाप्त हो जाएगा और एओ के पास किसी भी दोषपूर्ण सामग्री के संबंध में मूल्यांकन करने का अधिकार क्षेत्र होगा। हालांकि, धारा 153 ए के तहत पूर्ण/बेरोकटोक आकलन के संबंध में

इस तथ्य के बावजूद कि खोज के दौरान कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली है, वही समस्या का कारण बनेगी धारा 153ए में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "खोज" और "मांग" को अनुचित माना जा रहा है। इतना ही नहीं, आई. पी. ए. एल. कमीशन ऑफ इनकम टैक्स, सेंटर-3 अभिसार बिल्डवेल पी. लिमिटेड के तहत नियमित मूल्यांकन करने के लिए सीमा अवधि को बढ़ाने के लिए खोज एक उपकरण बन जाएगा।

[एम. आर. शाह, जे.]

धारा 143 (3), जो अनुज्ञेय नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह कानून की स्थिर स्थिति है कि जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता है, वह अप्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता है।

v) यह प्रस्तुत किया जाता है कि उस आय का पता लगाने के लिए धारा 132 और 132ए के तहत बताई गई सीमित परिस्थितियों में खोज और मांग की जा सकती है, जिसे निर्धारिती ने प्रकट नहीं किया है या जिसकी खुलासा करने की संभावना नहीं है। यद्यपि ऐसे मामले में भी जहां यह विश्वास करने के लिए प्रामाणिक कारण हैं कि धारा 132 और 132ए में उल्लिखित परिस्थितियां मौजूद हैं।

vi) यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि धारा 153ए के तहत 'कुल आय' को धारा 132 और 132ए के आलोक में पढ़ा जाना चाहिए, जैसा कि संदर्भ में आवश्यक है और 'अघोषित आय' अभिव्यक्ति को छोड़ने का कोई असर नहीं है। vii) राजस्व की ओर से विवाद के संबंध में कि

धारा 158बीए के तहत ब्लॉक मूल्यांकन की पूर्व योजना

"अघोषित आय" के आकलन की परिकल्पना की गई है जबकि धारा 153ए (1) के पहले परंतुक में "कुल आय" के आकलन की परिकल्पना की गई है जो इसे लाने के लिए कानून के इरादे को प्रकट करता है।

"कुल आय" पर कर लगाने के लिए, अधिनियम की धारा 153 ए के तहत किसी भी आपत्तिजनक सामग्री के लिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त प्रस्तुति [2023] 7 एस. सी. आर.

153ए व्यवस्था को लागू करने के पीछे के उद्देश्य की सराहना किए बिना और साथ ही इस तथ्य की सराहना किए बिना कि धारा 2 के तहत "कुल आय" की परिभाषा "जब तक कि संदर्भ अन्यथा आवश्यक न हो" अभिव्यक्ति द्वारा योग्य है।

viii) यह प्रस्तुत किया जाता है कि धारा 158बीए के तहत ब्लॉक मूल्यांकन की पूर्ववर्ती योजना में मूल्यांकन की परिकल्पना की गई थी -

" "दो कारणों से" अघोषित आय। पहला कारण यह था कि पूर्ववर्ती शासन के तहत दो समानांतर आकलनों की परिकल्पना की गई थी अर्थात (i) अघोषित आय का आकलन करने के लिए धारा 158बीए के तहत ब्लॉक मूल्यांकन और (ii) नियमित मूल्यांकन।

धारा 153ए में "अघोषित आय" शब्द को हटाने का मतलब यह नहीं है कि तलाशी के दौरान किसी भी आपत्तिजनक सामग्री के न मिलने के कारण मूल्यांकन, ए. ओ. निर्बाध आकलन के संबंध में आय का आकलन करने का अधिकार क्षेत्र ग्रहण करेगा, जैसा कि राजस्व द्वारा विरोध किया जा रहा है। 153ए के प्रावधान को अभी भी धारा 132 और 132ए के आलोक में पढ़ा जाना है। इस विधान का यह उद्देश्य धारा की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक के स्पष्ट अध्ययन से भी स्पष्ट रूप से स्पष्ट होता है। 153ए के साथ-साथ अधिनियम की धारा 153 ए की उप-धारा (2) से।

आई. पी. ए. एल. आय कर आयुक्त, केंद्र-3 अभिसार बिल्डवेल पी. लिमिटेड। [एम. आर. शाह, जे.]

x) यह प्रस्तुत किया जाता है कि धारा 153क की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक में उप-धारा में निर्दिष्ट छह निर्धारण वर्षों से संबंधित मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन, यदि कोई हो, का प्रावधान है।

धारा के तहत तलाशी शुरू करने की तारीख पर लंबित धारा

132 या, जैसा भी मामला हो, धारा 132ए के तहत की गई मांग समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार, जहां एक मूल्यांकन आज की तारीख तक लंबित है

तलाशी लेने पर, धारा 153ए के तहत प्रक्रिया का पालन करते हुए वही 'कटौती' और इस तरह के आकलन किए जा सकते हैं और राजस्व को अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 'कुल आय' का आकलन करने की शक्ति होगी। तदनुसार, तरीके से

इस दूसरे परंतुक के तहत, दो अलग-अलग आकलनों को समाप्त करने के लिए कानून का इरादा हासिल किया गया है।

xi) इसके अलावा, यह दूसरा परंतुक बल देने के लिए और राजस्व को केवल अघोषित आय के खिलाफ "कुल आय" के रूप में मूल्यांकन करने में सक्षम बनाने के लिए, धारा 153 ए के तहत कार्यवाही में ही, अभिव्यक्ति "कुल आय" का उपयोग किया गया है।

धारा 153क (1) का परंतुक। यहाँ, कम किए गए निर्धारणों के उद्देश्य से, "कुल आय" अभिव्यक्ति निर्विवाद रूप से धारा 2 के तहत प्रदान की गई "कुल आय" की परिभाषा से अपना अर्थ प्राप्त करेगी, जिसका अर्थ है कि राजस्व को कुल आय का निर्धारण करने की अनुमति दी जाएगी। यदि पहले परंतुक में "कुल आय" अभिव्यक्ति का उपयोग नहीं किया गया होता, तो राजस्व अघोषित आय के अलावा कर आय में लाने में सक्षम नहीं होता।

मूल्यांकन। हालांकि, कम किए गए मूल्यांकनों के विपरीत, पूर्ण मूल्यांकनों के मामले में, जहां खोज की तारीख तक कोई मूल्यांकन लंबित नहीं था, यह उल्लेख करना उचित है कि कोई भी दो मूल्यांकन पहले स्थान पर नहीं हो रहे थे। पहले की खंड निर्धारण व्यवस्था में केवल एक आकलन किया गया था जिसमें केवल अघोषित आय पर ही कर लगाया जा सकता था, वह भी तब जब आपत्तिजनक सामग्री का पता चला हो। xii) यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि, निर्बाध मूल्यांकन के मामलों में जहां कोई भी आपत्तिजनक सामग्री का पता नहीं चला था,

पूर्ववर्ती शासन में भी कोई वृद्धि नहीं की जा सकी। यह विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि संसद का इरादा 153ए शासन में इस श्रेणी के मामलों के साथ कभी छेड़छाड़ नहीं करना था। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब ऐसे मामलों की श्रेणी के संबंध में कोई दो आकलन नहीं हो रहे थे, तो सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट का कोई सवाल ही नहीं था

दो समानांतर मूल्यांकनों की आवश्यकता को समाप्त करना। ऐसे मामलों की श्रेणी में, "कुल आय" अभिव्यक्ति का शाब्दिक अर्थ नीचे दी गई परिभाषा के अनुसार नहीं लगाया जा सकता है।

धारा 2 उसी के रूप में न केवल इसके विपरीत होगी विधान का उद्देश्य (जो दो समानांतर आकलनों को समाप्त करना है) लेकिन स्पष्ट रूप से मनमाना भी है जैसे कि नहीं

आपत्तिजनक सामग्री पाई जा रही है और मूल्यांकन पहले पूरा हो जाने के बावजूद, राजस्व धारा 153ए के तहत मूल्यांकन की आड़ में पहले के मूल्यांकन के साथ छेड़छाड़ करने के लिए बारी-बारी से जांच करेगा। यह अनुमत नहीं हो सकता है और नियमित रूप से सीमा की अवधि को दरकिनार करने का एक उपकरण बन सकता है।

मूल्यांकन।

xiii) यह प्रस्तुत किया जाता है कि पूर्ण मूल्यांकन के मामलों की ऐसी श्रेणी में अभिव्यक्ति "कुल आय", जहां नहीं

दोषारोपण करने वाली सामग्री पाई जाती है, उसकी व्याख्या की जानी चाहिए, धारा 2 के तहत दी गई परिभाषा के अनुसार नहीं, बल्कि धारा 2 के तहत दी गई परिभाषा के आलोक में।

धारा 132 और 132ए का उद्देश्य, जैसा कि संदर्भ में आवश्यक है। चूँकि अधिनियम की धारा 153ए के तहत मूल्यांकन अधिनियम की धारा 132 और 132ए के तहत खोज और मांग से जुड़ा हुआ है, जिसमें धारा का उद्देश्य उस अघोषित आय पर कर लगाना है जो तलाशी या मांग के दौरान या उसके अनुसरण में पाई जाती है, इसलिए पहले परंतुक धारा 153ए (1) के उद्देश्य के लिए "कुल आय" अभिव्यक्ति को ऐसे संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए और इसके परिणामस्वरूप, पूर्ण मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए "कुल आय" अभिव्यक्ति को राजस्व को किसी भी आपत्तिजनक सामग्री के निर्बाध मूल्यांकन के साथ छेड़छाड़ करने के लिए निरंकुश शक्तियां देने के लिए नहीं पढ़ा जा सकता है। ऐसे मामलों में, "कुल आय" पद का अर्थ निम्नानुसार पढ़ा जाएगाः

ए. यदि कोई आकलन पहले किया गया है, तो मूल्यांकन आदेश के अनुसार "कुल आय" को माना जाता है -

" धारा 153क के प्रयोजन के लिए कुल आय। बी. जहां पहले कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है, लेकिन मूल्यांकन कार्यवाही शुरू करने की समय सीमा समाप्त हो गई है, रिटर्न को अंतिम माना जाता है (संदर्भः चिंटेल्स इंडिया लिमिटेड बनाम डीसीआईटी, [2017] 397 आईटीआर 416 (डेल)]।

तदनुसार, एन. सी. आई. पी. ए. एल. आय कर आयुक्त, केंद्र-3 वी. अभिसार बिल्डवेल पी. लिमिटेड। [एम. आर. शाह, जे.]

ऐसे मामलों में इस तरह के विवरणी के अनुसार कुल आय को धारा 153ए के उद्देश्य के लिए कुल आय के रूप में माना जाएगा।

xiv) यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस प्रकार, पूर्ण मूल्यांकन के संबंध में धारा 153क के तहत "कुल आय" अभिव्यक्ति, जब धारा 132 और 132क के प्रकाश में पढ़ी जाती है, तो इसका अर्थ धारा 143 (3) के तहत पारित मूल्यांकन आदेश के अनुसार कुल आय होगी जहां निर्धारण पहले किया गया था या विवरणी के अनुसार कुल आय जहां पहले कोई निर्धारण नहीं किया गया था, लेकिन धारा 143 (2) के तहत नोटिस जारी करने की समय सीमा समाप्त हो गई है।

xv) जहां तक अधिनियम, 1961 की धारा 153ए में 'कुल आय' शब्दों का उपयोग किया गया है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि धारा 153ए के तहत मूल्यांकन की नई योजना को शामिल करने से पहले, एक अवधारणा थी।

153ए जिसमें प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक निर्धारण वर्ष के लिए अलग से मूल्यांकन किया जाएगा और तलाशी के दौरान अज्ञात पाई गई आय पर सामान्य दर पर कर लगाया जाएगा। इसलिए, धारा 153ए में यह कहा गया है कि 'कुल आय' का आकलन किया जाएगा। इसका मतलब है कि कर देयता की गणना करते समय, खोज के दौरान पाई गई आय के साथ-साथ अघोषित आय को 'कुल आय' और ऐसी 'कुल आय' के आधार पर गणना किए जाने वाले कर को निर्धारित करने के लिए जोड़ा जाएगा। इस प्रकार, धारा 153क में 'कुल आय' अभिव्यक्ति के आधार पर, राजस्व का यह तर्क कि ए. ओ. को 'कुल आय' का आकलन करने की शक्ति मिलती है, जिसमें बिना किसी दोषारोपण के आय भी शामिल होगी। मूल्यांकन के संबंध में खोज के दौरान पाई गई सामग्री जो कम नहीं हुई है, मान्य नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यहाँ 'कुल आय' अभिव्यक्ति का अर्थ मूल रूप से आय होगी।

मूल्यांकन और खोज के दौरान पाई गई आय। इस अभिव्यक्ति 'कुल आय' के आधार पर, ए. ओ. को कोई आपत्तिजनक सामग्री [2023] 7 एस. सी. आर. नहीं मिलने के बावजूद रिकॉर्ड पर उपलब्ध अन्य सामग्री के संबंध में मूल्यांकन करने का अधिकार क्षेत्र नहीं मिल सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

खोज के दौरान। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब खोज का उद्देश्य जानकारी एकत्र करना है और

यदि विशेष मूल्यांकन वर्ष की खोज में कोई सामग्री नहीं मिलती है, तो निरंतर छेड़छाड़ का कोई औचित्य नहीं है।

मूल्यांकन। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए यदि तलाशी के दौरान कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिलती है, तो वह अधिकार क्षेत्र समाप्त हो जाता है और एओ उस अवसर का उपयोग आय पर कर लगाने के लिए नहीं कर सकता है।

उप-धारा (1) के तहत किए गए पुनर्मूल्यांकन को अपील या किसी अन्य कानूनी प्रावधान में रद्द कर दिया जाता है, फिर किसी भी मूल्यांकन वर्ष से संबंधित मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन जो दूसरे के तहत कम हो गया था। परंतुक पुनर्जीवित होगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि केवल

जिन कार्यवाहियों को समाप्त कर दिया गया है, उन्हें पुनर्जीवित किया जाएगा। द.

अन्य निर्धारण वर्षों के लिए कार्यवाही फिर से शुरू नहीं की जाती है, भले ही ऐसी कोई भी आय है जो निर्धारण से बच गई है। इसका अर्थ यह है कि इस कानून का उद्देश्य केवल एओ को शक्ति देना है।

मूल्यांकन करना, जो वह पहले मूल्यांकन के संबंध में कर रहा था, जो खोज की तारीख तक लंबित थे और नहीं

अन्य मूल्यांकन। यह प्रस्तुत किया जाता है कि विधायिका का इरादा था जैसा कि राजस्व की ओर से तर्क दिया जा रहा है कि एओ के पास उन मूल्यांकन वर्षों में परिवर्धन करने की शक्ति है जहां कोई दोषपूर्ण सामग्री नहीं है, विधायिका ने यह प्रावधान किया होगा कि रद्द किए गए आकलन के मामले में, बेरोकटोक मूल्यांकन के मामले में, एओ को पहले किए गए परिवर्धन के आधार पर उन आकलनों को भी फिर से तैयार करने का अधिकार होगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि रद्द किए गए आकलनों को केवल

कम मूल्यांकन, चक्र को एक स्थिति में वापस ला रहा है जैसे कि

कोई खोज नहीं थी।

4.1 इस प्रकार एक सारणी में निर्धारिती की ओर से प्रस्तुतियाँ इस प्रकार हैं:

आय कर के सी. आई. पी. ए. एल. आयुक्त, केंद्र-3 वी. अभिसार बिल्डवेल पी. लिमिटेड। [एम. आर. शाह, जे.]

विशिष्टताएँ

मूल्यांकन पुनर्मूल्यांकन बेरोकटोक यू/एस 143 (3) यू/एस 147 लंबित है

मूल्यांकन

और कम किया गया

लंबित है और कम किया गया

कोई दोषपूर्ण नहीं पाया गया

| ए. ओ. हकदार

दायरा

नं.

सामग्री की खोज में।

मूल्यांकन यू/एस

मूल्यांकन

मूल्यांकन करने के लिए सम्पूर्ण

153ए होना चाहिए

यू/एस 153ए में

आय, ए

अनुपस्थिति तक सीमित

किसी भी

लंबित है

आधार

दोषारोपण को फिर से खोलना

नियमित

सामग्री।

मूल्यांकन

मूल्यांकन,

रुक गया।

जो

मूल रूप से था

निष्कर्ष निकाला

तारीख पर लंबित

खोज और

मूल्यांकन

के रूप में कम हो गया

जो

है।

इसका परिणाम

प्राप्त किया

अंतिमता

खोज करते हैं।

एओ हकदार नहीं है

नहीं कर सकते

बनो।

परेशान करती हैं।

आगे बढ़ने के लिए

इससे भी ज़्यादा जब

दायरा

लंबित है

कोई सामग्री नहीं पाया गया

में

मूल्यांकन।

खोज करते हैं।

ए. ओ. को दोषी ठहराना। दायरा

II नहीं

मूल्यांकन का

सामग्री

में पाया गया

यू/एस 153ए में

मूल्यांकन यू/एस का आकलन करें

में से

खोज करते हैं।

सम्पूर्ण

अनुपस्थिति

153ए होना चाहिए

आय, जहाँ तक सीमित हैः

+

किसी भी

लंबित है

((क) इन आधारों पर

दोषारोपण

जानकारी/दस्तावेज़

सामग्री हो सकती है

इसके अलावा अन्य स्रोतों से

नियमित

जो

गिरा दिया जाए।

के साथ उपलब्ध खोज

कार्यवाही

मूल्यांकन

रुक गया।

फिर से खोला गया; और

एओ

(ख) अतिरिक्त

पोस्ट ड्रॉप

विशिष्ट

में से

जानकारी

कार्यवाही

आ रहा है।

यू/एस 153 ए के लिए,

ज्ञान एओ

राजस्व हो सकता है,

मोड के माध्यम से

आधार

अन्य

जानकारी से ज़्यादा,

अन्य

यू/एस को आगे बढ़ाएँ

खोज करते हैं।

एओ हकदार नहीं है

147 और/या

263 के अधीन

पूरे को फिर से खोलने के लिए

की संतुष्टि

मूल्यांकन और

क्षेत्राधिकार

उपक्रम करें

शर्तें

घूमना/मछली पकड़ना

उक्त के तहत

पूछताछ करते हैं।

प्रावधान।

i कार्यक्षेत्र नामक ए. ओ. दोषारोपण करने वाली सामग्री

मूल्यांकन का

यू/एस 153ए से

मूल्यांकन यू/एस का आकलन करने के लिए खोज के दौरान पाया गया

केवल 'ए' मुद्दे पर।

सम्पूर्ण

153ए होना चाहिए

प्रतिबंधित रहें

अन्य आय, जो इस तक सीमित हैः

ए जारी करने के लिए

नहीं।

((क) इन आधारों पर

लंबित है

जानकारी/सामग्री

संबंधित

से उपलब्ध या पाया गया

नियमित

जो

जो

कार्यवाही

दोषारोपण

कोई भी बाहरी स्रोत।

मूल्यांकन

रुक गया।

फिर से खोला गया; और

सामग्री

है।

ए. ओ. भी (बी) इश्यू ए के दौरान पाया गया

के हकदार हैं

खोज करते हैं।

के दौरान पता चला

खोज करते हैं।

पूरा मूल्यांकन करें

मूल

आय और

एओ हकदार नहीं है

निष्कर्ष निकाला

सिर्फ मुद्दा ही नहीं

मूल्यांकन

ए.

पूरे को फिर से खोलने के लिए

जो

है।

मूल्यांकन और
उपक्रम करें
प्राप्त किया
अंतिमता
घूमना/मछली पकड़ना
पूछताछ करते हैं।
बनो।
नहीं कर सकते
परेशान, में
संदर्भ
मुद्दे
में
के संबंध में
जो
नहीं।
दस्तावेज़
में पाया जाता है
खोज करते हैं।

ii ए. ओ. के अधिकार वाली आपत्तिजनक सामग्री

दायरा

मूल्यांकन का

मूल्यांकन करने के लिए खोज के दौरान पाया गया

मूल्यांकन यू/एस यू/एस

153ए.

केवल अंक 'ए' पर

सम्पूर्ण

153ए होना चाहिए

केवल हो सकता है किया।

आय

इन तक सीमितः

में

+

((क) इन आधारों पर

सहित

में से

अन्य

सम्मान करें।

जानकारी/सामग्री

ए जो

मुद्दा

ए.

मुद्दा

और/या इश्यू से उपलब्ध या पाया गया

कार्यवाही

संबंधित

फिर से खोला गया; और

कोई भी बाहरी स्रोत बी।

जो

(ख) अंक ए

दोषारोपण

(खोज में नहीं) में

अंक 'बी' का सम्मान।

के दौरान पता चला

सामग्री

है।

के दौरान पाया गया

खोज; और

(ग) बी के लिए जारी करें

खोज करते हैं।

जो

उस पर

जानकारी

का निष्कर्ष

उपलब्ध है।

मूल्यांकन

153ए,

यू/एस

एओ हकदार नहीं है

राजस्व हो सकता है,

आधार

पूरे को फिर से खोलने के लिए

अन्य

मूल्यांकन और

जानकारी,

यू/एस आगे बढ़ें

उपक्रम करें

घूमना/मछली पकड़ना

147

और/या

पूछताछ करते हैं।

263 .

4.2 संबंधित मूल्यांकनकर्ताओं के लिए विद्वान वकील ने आप पर भरोसा किया है

इस न्यायालय के साथ-साथ विभिन्न उच्च न्यायालय के निम्नलिखित निर्णय

उनके इस कथन पर कि दोषारोपण करने वाली सामग्री के अभाव में पूर्ण मूल्यांकन में कोई जोड़ नहीं किया जा सकता हैः

आय कर के प्रधान आयुक्त, केंद्र-3 v. अभिसार बिल्डवेल पी. लिमिटेड। [एम. आर. शाह, जे.]

मामले का नाम

उद्धरण

एस. एल. नहीं।

आयकर आयुक्त-III,

(2017) 397 आई. टी. आर. 344

1 .

(एससी) (2018) 11 एससीसी

पुणे बनाम सिंहगढ़ तकनीकी

शिक्षा समाज

490

(2016) 387 आईटीआर 529

प्रधान आय आयुक्त

2 .

कर-4 बनाम सौम्या निर्माण

(गुजरात)

प्रधान आय आयुक्त

2017 (2) टीएमआई 862

3 .

कर, अहमदाबाद बनाम दीपक

(गुजरात)

जसवंतलाल पांचाल

(2015) 374 आईटीआर 645

आयकर आयुक्त-II,

4 .

ठाणे बनाम महाद्वीपीय भंडारण

(बॉम्बे)

निगम (न्हावा शेवा) लिमिटेड।

(2022) 443 आईटीआर 382

प्रा. आयकर आयुक्त

5 .

(सेंट्रल), बैंगलोर और ओआरएस। बनाम।

(कर्नाटक)

लिमिटेड और ओआरएस।
आयकर आयुक्त

(2016) 380 आईटीआर 573

6 .

(मध्य)-III बनाम काबुल चावला

(दिल्ली)

(2017) 395 आई. टी. आर. 526

प्रधान आय आयुक्त

7 .

टैक्स, सेंट्रल-2, नई दिल्ली बनाम मीता

(दिल्ली)

गुटगुटिया
चिंटेल्स इंडिया लिमिटेड बनाम डिप्टी

(2017) 397 आईटीआर 416

8 .

आयकर आयुक्त-सर्कल

(दिल्ली)

-8 , दिल्ली

श्री. एस. एम. कमल पाशा बनाम द.

(2022 (8) टीएमआई 966

9 .

सेंट्रल सर्कल-6 (3) (2) बैंगलोर प्रधान आय आयुक्त

2016 (10) टीएमआई 1022

10 .

कर-2 बनाम जय अवसंरचना और

(गुजरात)

प्रॉपर्टीज प्रा. लि.

श्रीमती. जामी निर्मला बनाम। प्रधानाचार्य

(2021) 437 आईटीआर 573

11 .

आयकर आयुक्त

(उड़ीसा)

(2021) 439 आईटीआर 193

12 .

श्रीमती. स्मृतिसुधा नायक बनाम संघ

भारत का

(उड़ीसा)

आयकर आयुक्त,

(2016) 388 आईटीआर 574

13 .

कोलकाता बनाम वीरप्रभु मार्केटिंग

(कलकत्ता)

सीमित

2016 (8) टीएमआई 1131

प्रधान आय आयुक्त

14 .

(कलकत्ता)

कर-2, कोलकाता बनाम मेसर्स। सालासर स्टॉक

ब्रोकिंग लिमिटेड

15 .

प्रा. आयकर आयुक्त

2019 (8) टीएमआई 474

सेंट्रल, जयपुर बनाम श्रीमती. दक्ष जैन,

(राजस्थान)

सिरोही

डॉ. ए. वी. श्रीकुमार बनाम (2018) 404 आईटीआर 642

16 .

आयकर आयुक्त, कोच्चि। (केरल) और सहायक आयुक्त

आयकर, कालीकट [2023] 7 एस. सी. आर.

5. हमने संबंधित पक्षों के लिए विद्वान वकील को सुना है

लंबाई।

अपीलों के वर्तमान समूह में विचार के लिए जो प्रश्न पूछा गया है, वह यह है कि क्या पूर्ण मूल्यांकन के संबंध में /

निर्बाध आकलन, चाहे मूल्यांकन करने के लिए ए. ओ. का अधिकार क्षेत्र धारा 132 के तहत तलाशी के दौरान पाई गई आपत्तिजनक सामग्री तक सीमित है या धारा 132 ए के तहत मांग है या नहीं, यानी क्या धारा 132 के तहत तलाशी के दौरान पाई गई किसी भी आपत्तिजनक सामग्री के अभाव में ए. ओ. द्वारा कोई जोड़ किया जा सकता है या अधिनियम, 1961 की धारा 132 ए के तहत मांग की जा सकती है या नहीं।

6. राजस्व की ओर से यह मामला है कि एक बार धारा 132 के तहत तलाशी या धारा 132ए के तहत मांग पर,

आकलन अधिनियम, 1961 की धारा 153ए के तहत किया जाना है और उसके बाद एओ के पास मूल्यांकन आदेश पारित करने और

अन्य सामग्री को ध्यान में रखते हुए 'कुल आय' का आकलन करें, हालांकि पूर्ण/निर्बाध मूल्यांकन के संबंध में भी तलाशी के दौरान कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिलती है। 7. शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि विभिन्न उच्च न्यायालय, अर्थात् दिल्ली उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय, बॉम्बे

उच्च न्यायालय, कर्नाटक उच्च न्यायालय, उड़ीसा उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय, राजस्थान उच्च न्यायालय और केरल उच्च न्यायालय ने यह विचार रखा है कि पूर्ण/निर्बाध के संबंध में कोई जोड़ नहीं किया जा सकता है।

किसी भी आपत्तिजनक सामग्री के अभाव में मूल्यांकन। काबुल चावला (उपरोक्त) के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा प्रमुख निर्णय दिया जाता है, जिसे बाद में अन्य उच्च न्यायालयों द्वारा अनुसरण और अनुमोदित किया गया है, जिसे यहाँ ऊपर संदर्भित किया गया है। इस मुद्दे पर एक और प्रमुख निर्णय सौम्या कंस्ट्रक्शन (उपरोक्त) के मामले में गुजरात उच्च न्यायालय का निर्णय है, जिसके बाद गुजरात उच्च न्यायालय ने बाद के निर्णयों में इसका अनुसरण किया है, जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है। प्रा. के मामले में केवल इलाहाबाद उच्च न्यायालय। आयकर विभाग के आयुक्त। मेहंदीपुर

बालाजी, 2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन ऑल 444: (2022) 447 आई. टी. आर. 517 ने इसके विपरीत दृष्टिकोण अपनाया है।

7.1 काबुल चावला (ऊपर) के मामले में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने उसी मुद्दे पर विचार करते हुए और धारा 153ए की व्याख्या पर विचार किया

अधिनियम, 1961 ने कानूनी स्थिति का सारांश इस प्रकार दिया हैः

आई. पी. ए. एल. आय कर आयुक्त, केंद्र-3 अभिसार बिल्डवेल पी. लिमिटेड। [एम. आर. शाह, जे.]

5. अधिनियम की धारा 153ए (1) के संदर्भ में, उसमें दिए गए प्रावधानों के साथ पढ़ें और कानून के आलोक में पूर्वनिर्दिष्ट निर्णय, जो कानूनी स्थिति उभरती है वह इस प्रकार है

देरः

आई. एक बार जब अधिनियम की धारा 132 के तहत तलाशी ली जाती है, तो धारा 153ए (1) के तहत तलाशी लेने वाले व्यक्ति को अनिवार्य रूप से नोटिस जारी करना होगा, जिसमें उसे पिछले वर्ष से तुरंत पहले छह एवाईएस के लिए रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता होती है। जिसकी खोज की जाती है।

ii. तलाशी की तारीख को लंबित मूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन समाप्त हो जाएंगे। ऐसे ए. वाई. के लिए कुल आय होनी चाहिए

ए. ओ. द्वारा एक नए अभ्यास के रूप में गणना की जाए।

iii. एओ इस संबंध में सामान्य मूल्यांकन शक्तियों का प्रयोग करेगा। संबंधित ए. वाई. से पहले के छह वर्षों में से जिसमें खोज

होता है। एओ के पास उपरोक्त छह वर्षों की 'कुल आय' का अलग-अलग आकलन और पुनर्मूल्यांकन करने की शक्ति है।

छह वर्षों में से प्रत्येक के लिए मूल्यांकन आदेश। दूसरे शब्दों में, छह ए. वाई. एस. में से प्रत्येक के संबंध में केवल एक मूल्यांकन आदेश होगा जिसमें प्रकट और अप्रकाशित दोनों ही होंगे।

आय पर कर लगाया जाएगा। iv. यद्यपि धारा 153 ए में यह नहीं कहा गया है कि खोज के दौरान पाए गए साक्ष्य, या अन्य खोज सामग्री या एओ के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर कड़ाई से परिवर्धन किया जाना चाहिए जो साक्ष्य से संबंधित हो सकता है।

पाया गया, इसका मतलब यह नहीं है कि मूल्यांकन मनमाना हो सकता है या जब्त किए गए के साथ किसी भी प्रासंगिकता या सांठगांठ के बिना किया जा सकता है

सामग्री। जाहिर है कि इसके तहत एक मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

केवल जब्त की गई सामग्री के आधार पर धारा।

वी. किसी भी आपत्तिजनक सामग्री के अभाव में, पूर्ण मूल्यांकन को दोहराया जा सकता है और कम मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन किया जा सकता है। धारा 153 में 'आकलन' शब्द

ए का संबंध कम की गई कार्यवाही (यानी, जो खोज की तारीख पर लंबित है) और पूरा करने के लिए 'पुनर्मूल्यांकन' शब्द से है। मूल्यांकन कार्यवाहियाँ।

vi. जहां तक लंबित आकलनों का संबंध है, धारा 153ए के तहत मूल मूल्यांकन और मूल्यांकन करने का अधिकार क्षेत्र एक में मिल जाता है। खोज के निष्कर्षों और किसी भी अन्य सामग्री के आधार पर प्रत्येक ए. वाई. के लिए अलग से केवल एक मूल्यांकन किया जाएगा।

एओ का रिकॉर्ड।

vii. धारा 153 ए के तहत मूल्यांकन करते समय ए. ओ. द्वारा पूर्ण आकलन में हस्तक्षेप केवल दस्तावेजों की तलाशी या मांग के दौरान मिली कुछ आपत्तिजनक सामग्री या तलाशी के दौरान मिली अघोषित आय या संपत्ति के आधार पर किया जा सकता है, जो प्रस्तुत नहीं की गई थी या पहले से ही खुलासा नहीं की गई थी या पाठ्यक्रम में ज्ञात नहीं की गई थी।

मूल मूल्यांकन "।

7.2 इसके बाद सौम्या कंस्ट्रक्शन (ऊपर) के मामले में, उच्च न्यायालय ने काबुल चावला (ऊपर) के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को संदर्भित करते हुए और अधिनियम, 1961 की धारा 153ए के तहत ब्लॉक मूल्यांकन की पूरी प्रक्रिया पर विचार करने के बाद कहा कि पूर्ण मूल्यांकन/निर्बाध मूल्यांकन के मामले में, किसी भी आपत्तिजनक सामग्री के मामले में, कोई अतिरिक्त नहीं किया जा सकता है और एओ के पास पूर्ण मूल्यांकन को फिर से खोलने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। रैग्राफ 15 और 16, यह निम्नानुसार आयोजित किया जाता हैः

" 15. अधिनियम की धारा 153ए को सीधे पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि इसके तहत शक्तियों के प्रयोग के लिए ट्रिगर पॉइंट धारा 132 के तहत खोज या अधिनियम की धारा 132ए के तहत मांग है। एक बार जब कोई तलाशी या मांग की जाती है, तो निर्धारण अधिकारी को अधिनियम की धारा 153ए के तहत उस व्यक्ति को नोटिस जारी करने का आदेश दिया जाता है, जिसके लिए उसे आय की विवरणी प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।

छह मूल्यांकन के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक मूल्यांकन वर्ष का सम्मान

संबंधित निर्धारण वर्ष से ठीक पहले के वर्ष

अधिनियम की धारा 132 और 132ए के तहत, यह स्पष्ट है कि इस धारा का उद्देश्य उस अघोषित आय पर कर लगाना है जो तलाशी या मांग के दौरान या उसके अनुसार पाई जाती है। हालांकि, ब्लॉक की पिछली व्यवस्था के बजाय

निर्धारण जिसके द्वारा; यह केवल ब्लॉक अवधि की अघोषित आय थी जिसका आकलन किया गया था, अधिनियम की धारा 153 ए एन. सी. आई. पी. ए. एल. आय कर आयुक्त, केंद्र-3 वी.

अभिसार बिल्डवेल पी. लिमिटेड। [एम. आर. शाह, जे.]

निर्धारण वर्ष के लिए कुल आय का आकलन करना, जो उसके पहले परंतुक से स्पष्ट है, जिसमें यह प्रावधान है कि निर्धारण अधिकारी ऐसे छह निर्धारण वर्षों के भीतर आने वाले प्रत्येक निर्धारण वर्ष के संबंध में कुल आय का आकलन या पुनर्मूल्यांकन करेगा। दूसरा परंतुक विधानमंडल के इरादे को स्पष्ट करता है क्योंकि इसमें उप-धारा में निर्दिष्ट छह निर्धारण वर्षों से संबंधित मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन, यदि कोई हो, का प्रावधान है। धारा 132 के तहत तलाशी शुरू करने की तारीख या धारा 132ए के तहत मांग, जैसा भी मामला हो, समाप्त हो जाएगी। अधिनियम की धारा 153ए की उप-धारा (2) में प्रावधान है कि यदि उप-धारा (1) के तहत की गई किसी भी कार्यवाही या मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन के किसी आदेश को अपील या किसी अन्य कानूनी प्रावधान में रद्द कर दिया जाता है, तो किसी भी मूल्यांकन वर्ष से संबंधित मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन जो दूसरे परंतुक के तहत समाप्त हो गया था,

पुनर्जीवित हो जाओ। इसके परंतुक में कहा गया है कि इस तरह का पुनरुद्धार होगा

अधिनियम की धारा 153ए के तहत। इसी तरह, उप-धारा (2) किसी भी मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन के पुनरुद्धार का प्रावधान करती है जो समाप्त हो गया था, यदि कोई कार्यवाही या मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन का कोई आदेश है। धारा 153 ए के तहत बनाया गया, अधिनियम अपील या किसी अन्य कार्यवाही में रद्द कर दिया जाता है।

16. धारा 153ए का शीर्षक "खोज या मांग के मामले में मूल्यांकन" है। जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने निर्णयों के एक समूह में अभिनिर्धारित किया है कि धारा के शीर्ष को धारा के सक्रिय भाग की व्याख्या के लिए एक कुंजी के रूप में माना जा सकता है और यदि भाषा में कोई अस्पष्टता नहीं है या यदि यह स्पष्ट और स्पष्ट है, तो धारा में उपयोग किया गया शीर्षक उस अर्थ को मजबूत करता है धारा 153 के शीर्ष से, विधानमंडल का इरादा स्पष्ट है, अर्थात खोज और मांग के मामले में मूल्यांकन के लिए प्रावधान करना। जब, प्रावधान का उद्देश्य खोज या मांग के मामले में मूल्यांकन करना है, तो यह बिना कहे चला जाता है कि मूल्यांकन का संबंध खोज या मांग से होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, मूल्यांकन, के साथ जुड़ा होना चाहिए

खोज या माँग के दौरान पाया गया कुछ, अर्थात। , इस प्रकार, अधिनियम की धारा 153क की उप-धारा (1) के अधिदेश को ध्यान में रखते हुए, [2023] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रत्येक मामले में जहां कोई तलाशी या मांग है, मूल्यांकन अधिकारी ऐसे व्यक्ति को उस पिछले वर्ष से प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष से पहले के छह वर्षों के लिए आय विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी करने के लिए बाध्य है जिसमें तलाशी ली जाती है या मांग की जाती है, कोई भी जोड़ या अस्वीकृति केवल तलाशी या मांग के दौरान एकत्र की गई सामग्री के आधार पर की जा सकती है। मामले में

जैसा कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने जय स्टील (भारत) बनाम के मामले में अभिनिर्धारित किया है, कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली है। आसिस्टेंट। सी. आई. टी. (ऊपर), पहले के मूल्यांकन को दोहराना होगा। यदि लंबित निर्धारणों में कमी आई है, तो निर्धारण अधिकारी निर्धारिती की कुल आय निर्धारित करने के लिए छह वर्षों में से प्रत्येक के लिए निर्धारण आदेश पारित कर सकता है, जिसमें निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत विवरणी में घोषित आय, यदि कोई हो, के साथ-साथ तलाशी या मांग के दौरान खोजी गई अघोषित आय, यदि कोई हो, शामिल होगी। यदि अधिनियम की धारा 147 के तहत एक लंबित पुनर्मूल्यांकन समाप्त हो गया है, तो यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि मूल्यांकन के दायरे और दायरे में कोई भी आदेश शामिल होगा जिसे निर्धारण अधिकारी अधिनियम की धारा 147 के साथ-साथ इसके तहत पारित कर सकता था।

अधिनियम की धारा 153 ए "।

8. नीचे बताए गए कारणों के लिए, हम दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत हैं।

काबुल चावला (ऊपर) और गुजरात उच्च न्यायालय ने सौम्या निर्माण (ऊपर) के मामले में यह विचार रखते हुए कि किसी भी आपत्तिजनक सामग्री के अभाव में पूर्ण मूल्यांकन के संबंध में कोई जोड़ नहीं किया जा सकता है।

9. संबंधित मुद्दे पर विचार करते समय, अधिनियम, 1961 में धारा 153ए को शामिल करने के उद्देश्य और उद्देश्य पर विचार करना होगा और

जब अधिनियम, 1961 की धारा 153ए के तहत खंड निर्धारण होगा। 9.1 कि कानून में धारा 153ए को शामिल करने से पहले, ब्लॉक मूल्यांकन के लिए प्रासंगिक प्रावधान अधिनियम की धारा 158बीए के तहत था।

1961. धारा 158बी. ए. के तहत ब्लॉक मूल्यांकन की पूर्ववर्ती योजना में दो कारणों से 'अघोषित आय' के मूल्यांकन की परिकल्पना की गई थी, पहला यह कि पूर्ववर्ती शासन के तहत दो समानांतर आकलनों की परिकल्पना की गई थी, अर्थात (i) 'अघोषित आय' का आकलन करने के लिए धारा

158बी. ए. के तहत ब्लॉक मूल्यांकन और (ii) आय के निर्धारण के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नियमित मूल्यांकन।

अघोषित आय।

दूसरा, कि 'अघोषित आय' आय कर के प्रधान आयुक्त, केंद्रीय-3 v थी। अभिसार बिल्डवेल पी. लिमिटेड। [एम. आर. शाह, जे.]

धारा 113 के तहत 60 प्रतिशत की विशेष दर पर कर के लिए प्रभार्य जबकि 'अघोषित आय' के अलावा अन्य आय का आकलन किया जाना आवश्यक था।

नियमित मूल्यांकन प्रक्रिया के तहत और सामान्य दर पर कर योग्य था। इसलिए, धारा 153ए को अंतःस्थापित किया गया और क़ानून में लाया गया। धारा 153ए व्यवस्था के तहत, इस कानून का उद्देश्य दो समानांतर आकलनों की योजना को समाप्त करना और इन पर कर लगाना था।

' अघोषित आय भी किसी विशेष कर की तुलना में कर की सामान्य दर पर

दर। इस प्रकार, धारा 153ए के लागू होने के बाद और तलाशी के मामले में, छह साल के लिए खंड मूल्यांकन होगा। अधिनियम, 1961 की धारा 132 के तहत एक वैध खोज का संचालन करके धारा 153ए के तहत खोज मूल्यांकन/ब्लॉक मूल्यांकन शुरू किए जाते हैं। खोज का उद्देश्य ही,

जो धारा 153 ए/153 सी के प्रावधानों को लागू करने के लिए एक पूर्व शर्त/ट्रिगर है, तलाशी और जब्ती की असाधारण शक्ति का उपक्रम करके अघोषित आय का पता लगाना है, अर्थात वह आय जो नहीं कर सकती है।

नियमित मूल्यांकन के सामान्य क्रम में पता लगाया जाए। इस प्रकार, धारा 153ए/153सी के तहत खोज मूल्यांकन करने की नींव को खोज के परिणामस्वरूप पाई गई अघोषित आय को दर्शाने वाली आपत्तिजनक सामग्री का अस्तित्व कहा जा सकता है। 10. अधिनियम, 1961 की धारा 153ए के एक सादे अध्ययन पर, यह स्पष्ट है कि एक बार तलाशी या मांग किए जाने के बाद, ए. ओ. को अधिनियम की धारा 153 के तहत व्यक्ति को नोटिस जारी करने का आदेश दिया जाता है, जिसमें आवश्यक है कि

प्रत्येक निर्धारण वर्ष के संबंध में आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए

मूल्यांकन वर्ष से तुरंत पहले छह मूल्यांकन वर्षों के भीतर आने वाले पिछले वर्ष के लिए प्रासंगिक है जिसमें ऐसी खोज की जाती है या माँग की जाती है और उसी का आकलन या पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। अधिनियम की धारा 153ए निम्नानुसार हैः

" 153ए. खोज या माँग के मामले में मूल्यांकन (1)

धारा 139, धारा 147, धारा 148, धारा 149, धारा 151 और धारा 153 में कुछ भी निहित होने के बावजूद, उस व्यक्ति के मामले में जहां धारा 132 या पुस्तकों के तहत तलाशी शुरू की गई है।

31 मई, 2003 के बाद धारा 132-ए के तहत खाते, अन्य दस्तावेजों या किसी भी संपत्ति की मांग की जाती है।

अधिकारी करेंगे

(क) खंड (ख) में निर्दिष्ट छह निर्धारण वर्षों के भीतर आने वाले प्रत्येक निर्धारण वर्ष के संबंध में आय की विवरणी, ऐसी अवधि के भीतर, जो सूचना में निर्दिष्ट की जाए, निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करने के लिए ऐसे व्यक्ति को सूचना जारी करें और निर्धारित तरीके से सत्यापित करें और [2023] 7 एस. सी. आर. निर्धारित करें।

ऐसे अन्य विवरण जो विहित किए जाएं और इस अधिनियम के प्रावधान, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे जैसे कि ऐसी विवरणी धारा के तहत प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक विवरणी थी।

139 ;

(ख) संबंधित निर्धारण वर्ष से ठीक पहले छह निर्धारण वर्षों की कुल आय का आकलन या पुनर्मूल्यांकन करना।

पिछला वर्ष जिसमें ऐसी खोज की जाती है या मांग की जाती हैः

बशर्ते कि निर्धारण अधिकारी प्रत्येक निर्धारण वर्ष के संबंध में कुल आय का आकलन या पुनर्मूल्यांकन करेगा।

ऐसे छह मूल्यांकन वर्षों के भीतरः

बशर्ते कि इस उप-धारा में निर्दिष्ट छह निर्धारण वर्षों की अवधि के भीतर आने वाले किसी भी निर्धारण वर्ष से संबंधित निर्धारण या पुनर्मूल्यांकन, यदि कोई हो, धारा 132 के तहत तलाशी शुरू करने या धारा 132-ए के तहत मांग करने की तारीख पर लंबित है।

कम करें।

(2) यदि उप-धारा (1) के तहत शुरू की गई कोई कार्यवाही या मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन का कोई आदेश अपील या किसी अन्य कानूनी कार्यवाही में रद्द कर दिया गया है, तो, उप-धारा (1) या धारा 153 में कुछ भी निहित होने के बावजूद, किसी भी मूल्यांकन वर्ष से संबंधित मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन जो समाप्त हो गया है। उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक के तहत, आयुक्त द्वारा ऐसे रद्द करने के आदेश की प्राप्ति की तारीख से प्रभावी होगाः

बशर्ते कि इस तरह के पुनरुद्धार का प्रभाव समाप्त हो जाएगा, यदि रद्द करने का ऐसा आदेश रद्द कर दिया जाता है

स्पष्टीकरण। शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि,

(i) धारा 153-बी को छोड़कर, जैसा कि इस धारा में अन्यथा प्रावधान किया गया है।

और धारा 153-सी, इस अधिनियम के अन्य सभी प्रावधान लागू होंगे।

इस धारा के तहत किए गए मूल्यांकन के लिए;

((ii) इस धारा के तहत किसी निर्धारण वर्ष के संबंध में किए गए निर्धारण या पुनर्मूल्यांकन में, कर उस दर या दरों पर प्रभार्य होगा जो ऐसे निर्धारण वर्ष पर लागू होती है। आय कर के प्रधान आयुक्त, केंद्र-3 v.

अभिसार बिल्डवेल पी. लिमिटेड। [एम. आर. शाह, जे.]

11. धारा 153ए के प्रावधानों के अनुसार, तलाशी के मामले में

धारा 132 या धारा 132ए के तहत मांग के तहत, एओ को छह मूल्यांकन वर्षों के भीतर आने वाले प्रत्येक मूल्यांकन वर्ष के संबंध में 'कुल आय' का आकलन या पुनर्मूल्यांकन करने का अधिकार क्षेत्र प्राप्त होता है। हालांकि यह

यह ध्यान रखना आवश्यक है कि धारा 153क के दूसरे परंतुक के अनुसार, धारा 132 के तहत तलाशी शुरू करने या इसके तहत मांग करने की तारीख को लंबित छह मूल्यांकन वर्षों की अवधि के भीतर आने वाले किसी भी मूल्यांकन वर्ष से संबंधित मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन, यदि कोई हो,

यथास्थिति, धारा 132ए समाप्त हो जाएगी। धारा 153ए की उप-धारा (2) के अनुसार, यदि कोई कार्यवाही शुरू की गई है या मूल्यांकन का कोई आदेश या

उप-धारा (1) के तहत किए गए पुनर्मूल्यांकन को अपील या किसी अन्य कानूनी कार्यवाही में रद्द कर दिया गया है, फिर, कुछ भी निहित होने के बावजूद।

उप-धारा (1) या धारा 153 में, किसी भी निर्धारण वर्ष से संबंधित निर्धारण या पुनर्मूल्यांकन जो दूसरे परंतुक के तहत समाप्त हो गया है -

उप-धारा (1), आयुक्त द्वारा ऐसे रद्द करने के आदेश की प्राप्ति की तारीख से प्रभावी होगी। इसलिए, कानून का इरादा यह प्रतीत होता है कि तलाशी के मामले में केवल लंबित मूल्यांकन/पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही समाप्त हो जाएगी और एओ पूरे छह साल की अवधि/ब्लॉक मूल्यांकन अवधि के लिए 'कुल आय' का आकलन या पुनर्मूल्यांकन करने का अधिकार क्षेत्र ग्रहण करेगा। ऐसा प्रतीत होता है कि पूरा किए गए/बेरोकटोक मूल्यांकन को फिर से शुरू करने का इरादा नहीं है, जब तक कि संबंधित मामलों के संबंध में कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं पाई जाती है।

मूल्यांकन वर्ष जो खोज से पहले पिछले छह वर्षों के भीतर आता है।

तलाशी के दौरान एकत्र की गई आपत्तिजनक सामग्री और अन्य सामग्री जिसमें निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत विवरणी में घोषित आय, यदि कोई हो, के साथ-साथ अघोषित आय भी शामिल होगी। हालांकि, तलाशी के दौरान कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली है, पूर्ण होने के मामले में / निर्बाध मूल्यांकन, राजस्व के लिए उपलब्ध एकमात्र उपाय अधिनियम की धाराओं के तहत पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही शुरू करना होगा, जो धारा 147/148 में उल्लिखित शर्तों को पूरा करने के अधीन होगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में, राजस्व को कोई उपाय नहीं छोड़ा जा सकता है। इसलिए, धारा 153ए के तहत ब्लॉक मूल्यांकन के मामले में भी और बेरोकटोक/पूर्ण मूल्यांकन के मामले में और तलाशी के दौरान कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिलने की स्थिति में, राजस्व की शक्ति [2023] 7 एस. सी. आर. होगी।

अधिनियम की धारा 147/148 के तहत पुनर्मूल्यांकन को सहेजना होगा, अन्यथा राजस्व उपचार के बिना रह जाएगा।

12. यदि राजस्व की ओर से प्रस्तुत किया जाता है कि तलाशी के मामले में भी जहां पाठ्यक्रम के दौरान कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं पाई जाती है

13. ऊपर बताए गए कारणों से, हम काबुल चावला (उपरोक्त) के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय और गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत हैं। सौम्या निर्माण (उपर्युक्त) और अन्य उच्च न्यायालयों के निर्णयों का विचार है कि किसी भी दोषपूर्ण सामग्री के अभाव में पूर्ण मूल्यांकन के संबंध में कोई जोड़ नहीं किया जा सकता है।

14. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, यह निम्नानुसार निष्कर्ष निकाला गया हैः

i) कि धारा 132 के तहत तलाशी या धारा 132ए के तहत मांग के मामले में, एओ ब्लॉक के लिए अधिकार क्षेत्र ग्रहण करता है। धारा 153 ए के तहत मूल्यांकन;

(ii) सभी लंबित आकलनों/पुनर्मूल्यांकनों को समाप्त कर दिया जाएगा; आय कर के प्रधान आयुक्त, केंद्रीय-3 v.

iii) यदि कोई आपत्तिजनक सामग्री पाई जाती है/खोजी जाती है, यहां तक कि बेरोकटोक/पूर्ण मूल्यांकन के मामले में भी, एओ इस अवधि के दौरान खोजी गई आपत्तिजनक सामग्री को ध्यान में रखते हुए 'कुल आय' का आकलन या पुनर्मूल्यांकन करने का अधिकार क्षेत्र ग्रहण करेगा।

खोज और एओ के पास उपलब्ध अन्य सामग्री जिसमें शामिल हैं

विवरणी में घोषित आय; और

iv) यदि तलाशी के दौरान कोई आपत्तिजनक सामग्री का पता नहीं चलता है, तो एओ इस बात को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन नहीं कर सकता है -

पूर्ण मूल्यांकन/बेरोकटोक मूल्यांकन के संबंध में अन्य सामग्री। अर्थात्, पूर्ण/निर्बाध मूल्यांकनों के संबंध में, ए. ओ. द्वारा इसके अभाव में कोई जोड़ नहीं किया जा सकता है।

धारा 132 या अधिनियम, 1961 की धारा 132ए के तहत मांग के तहत तलाशी के दौरान मिली कोई भी आपत्तिजनक सामग्री। हालांकि, पूर्ण/बेरोकटोक मूल्यांकन को ए. ओ. द्वारा धारा 147/148 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए फिर से खोला जा सकता है। अधिनियम, अधिनियम की धारा 147/148 के तहत परिकल्पित/उल्लिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन है और उन शक्तियों को बचाया जाता है।

अपीलों और पुनरीक्षण याचिकाओं के वर्तमान समूह में शामिल प्रश्न का उत्तर उपरोक्त के संदर्भ में तदनुसार दिया जाता है और राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील और पुनरीक्षण याचिका को इसके द्वारा खारिज कर दिया जाता है। नहीं।

लागतें। सिविल अपील Nos.7738-7739/2021,7736-7737/2021,7732 7735/2021 और 7740-7743/2021

15. जहां तक निर्धारिती द्वारा की गई उपरोक्त दीवानी अपीलों का संबंध है-मेसर्स केसरवानी जरदा भंडार साहसन, इलाहाबाद, इन अपीलों को आई. टी. ए. संख्या में पारित किए गए विवादित फैसले और दिनांक 06.09.2016 के आदेश के खिलाफ प्राथमिकता दी गई है। 270/2014 , 269/2014 , 15/2015 , 16/2015 , 268/2014 और 17/2015, साथ ही, समीक्षा आवेदनों में पारित 21.09.2017 दिनांकित आदेश के विरुद्ध भी।

यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष मुद्दा था, चाहे पूर्ण/निर्बाध मूल्यांकन के मामले में,

ए. ओ. के पास अधिनियम, 1961 की धारा 143 (1) (ए) या 143 (3) के तहत किए गए आकलन को फिर से खोलने और तलाशी के दौरान पाई गई अघोषित आय को ध्यान में रखते हुए कुल आय का फिर से आकलन करने का अधिकार क्षेत्र होगा।

और जब्ती अभियान।

15.1 ऊपर की चर्चा को ध्यान में रखते हुए, एक बार खोज के दौरान अघोषित आय आपत्तिजनक सामग्री [2023] 7 एस. सी. आर. का पता लगाने पर पाई जाती है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

तलाशी के दौरान, एओ पूर्ण/बेरोकटोक आकलन के मामले में भी कुल आय का आकलन या पुनर्मूल्यांकन करने का अधिकार क्षेत्र ग्रहण करेगा। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा यह विचार रखते हुए पारित किए गए विवादित निर्णय और आदेशों में कहा गया है कि ए. ओ. के पास न केवल तलाशी अभियान के दौरान पाई गई अघोषित आय के लिए, बल्कि मूल मूल्यांकन के समय उपलब्ध सामग्री के संबंध में भी निर्धारिती की वापसी का पुनर्मूल्यांकन करने की शक्ति है।

हस्तक्षेप। इन परिस्थितियों में, उपरोक्त अपीलों को प्राथमिकता दी गई

निर्धारिती द्वारा-मेसर्स केसरवानी जरदा भंडार, साहसन, इलाहाबाद बर्खास्त किए जाने के योग्य हैं और तदनुसार बर्खास्त किए जाते हैं। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, कोई लागत नहीं है।

सिविल अपील सं। 15617/2017 , 10267/2017 , 10266/2017 & 10268/2017

और वे बर्खास्त किए जाने के योग्य हैं और तदनुसार बर्खास्त किए जाते हैं। कोई लागत नहीं।

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

दिव्या पांडे (सहायकः अभिषेक प्रताप सिंह और शेवली मोंगा, एलसीआरएएस)